VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

PT 365

सामाजिक मुद्दे

क्लासरूम स्टडी मटेरियल

(अप्रैल, 2024 से अक्टूबर, 2024)

www.visionias.in 8468022022, 9019066066

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /visionias.upsc /vision _ias VisionIAS_UPSC

अहमदाबाद बेंगलुरु भोपाल चंडीगढ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे रांची

सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

विषय-सूची

1. महिलाओं से संबंधित मुद्दे और विकासक्रम (Issues and Developments Related To Women) 4

1.1. महिला नेतृत्व वाले स्वयं-सहायता समूह (SHGs): लखपति दीदी 4

1.2. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 5

1.3. लैंगिक असमानता सूचकांक (GII) 2022 5

1.4. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न 7

1.5. महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा 7

1.6. एबॉर्शन या गर्भ की समाप्ति 8

1.7. सरोगेसी 9

1.8. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां 10

1.8.1. मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961 10

1.8.2. बाल देखभाल अवकाश 11

2. बच्चों से संबंधित मुद्दे और घटनाक्रम (Issues and Developments Related To Children) 12

2.1. बाल श्रम 12

2.2. भारत में बाल विवाह 14

2.3. किशोर न्याय अधिनियम, 2015 16

2.3.1. मॉडल फोस्टर केयर दिशा-निर्देश (MFCG), 2024 16

3. अन्य सुभेद्य समूह (Other Vulnerable Sections) 18

3.1. दिव्यांगजन 18

3.2. धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (PM-JUGA) 20

3.3. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह 22

3.3.1. विमुक्त जनजातियां 23

4. शिक्षा (Education) 25

4.1. अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 25

4.1.1. नवचेतना- नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टीमुलेशन (ECS) 26

4.2. भारत में उच्चतर शिक्षा 27

4.2.1. अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन 28

4.2.2. नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) 2024 29

4.3 विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में कैंपस) 29

5. स्वास्थ्य (Health) 31

5.1. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 रिपोर्ट 31

5.2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 32

5.3. इच्छामृत्यु 33

5.4. अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR), 2005 में संशोधन 34

6. पोषण और स्वच्छता (Nutrition and Sanitation) 36

6.1. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 36

6.2. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां 38

6.2.1. खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 38

6.2.2. द ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस 38

6.2.3. खाद्य अपशिष्ट सूचकांक (FWI) रिपोर्ट 2024 38

6.2.4. राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) आकलन 39

6.2.5. ग्लोबल अलायन्स फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन 39

7. सुर्ख़ियों में रहे संगठन (Organizations In News) 40

7.1. यू.एन. वीमेन 40

7.2. संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष 40

7.3. संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष 41

7.4. जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 41

7.5. खाद्य एवं कृषि संगठन 42

7.6. विश्व खाद्य कार्यक्रम 43

7.7. अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान 43

7.8. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 44

7.9. यू.एन. ऑफ़िस ऑफ़ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स 44

7.10. राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन 45

7.11. ICCPR के तहत मानवाधिकार समिति (HRC) 45

7.12. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त 46

7.13. अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन 46

7.14. एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग 47

 © Vision IAS

8. विविध (Miscellaneous) ______________________ 48
8.1. लिव-इन रिलेशनशिप______________________ 48
8.2. राष्ट्रीय खेल नीति (NSP), 2024 का मसौदा _______ 48
8.2.1. खेलों में डोपिंग______________________ 49
8.3. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां______________________ 50
8.3.1. शिक्षा में बहुभाषावाद______________________ 50
8.3.2. प्रोजेक्ट नमन______________________ 51
8.3.3. सारथी 1.0 पहल______________________ 52
8.3.4. नेशनल मेडिकल रजिस्टर (NMR) पोर्टल ______ 53

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

अभ्यर्थियों के लिए संदेश

प्रिय अभ्यर्थी,

PT 365 (हिंदी) डाक्यूमेंट के अंतर्गत, व्यापक तौर पर विगत 1 वर्ष (365 दिन) की महत्वपूर्ण समसामयिकी को समेकित रूप से कवर किया गया है, ताकि प्रीलिम्स की तैयारी में अभ्यर्थियों को सहायता मिल सके।

अभ्यर्थियों के हित में PT 365 डॉक्यूमेंट को और बेहतर बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित नवीन विशेषताओं को शामिल किया गया है:

संक्षेप में इन्फोग्राफिक्स:

» **मुख्य तथ्य और सुर्ख़ियां:** इसे जानकारी को आसानी से समझने और याद रखने योग्य बनाने के लिए तैयार किया गया है, जैसे कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024

» **सुर्ख़ियों में रहे संगठन:** प्रिलिम्स के नज़रिए से महत्वपूर्ण प्रमुख संगठनों की जानकारी को तेजी से रिवीजन करने हेतु डिजाइन किया गया है।

QR-आधारित क्विज़: इसे अभ्यर्थियों को अपनी लर्निंग और समझ को परखने में मदद करने हेतु शामिल किया गया है।

याद रखिए, सफलता रोजाना किए गए छोटे-छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। इसलिए लगातार सीखते रहें और आत्मविश्वास के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दें!

शुभकामनाएं!
टीम VisionIAS

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

1. महिलाओं से संबंधित मुद्दे और विकासक्रम (Issues and Developments Related To Women)

1.1. महिला नेतृत्व वाले स्वयं-सहायता समूह (SHGs): लखपति दीदी {Women-Led Self-Help Groups (SHGS): Lakhpati Didi}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने **महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित एक समारोह में 11 लाख नई "लखपति दीदियों"** को सम्मानित किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस अवसर पर प्रधान मंत्री ने **2,500 करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड** भी जारी किया। इस फंड से **4.3 लाख स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) के लगभग 48 लाख सदस्यों को लाभ** मिलेगा।
    - रिवॉल्विंग फंड का उद्देश्य **ऋण देने की प्रक्रिया में तेजी लाना** और **SHGs के विकास के लिए आवश्यक निधि में बढ़ोतरी** करना है। साथ ही, **SHGs के सदस्यों में बचत और संस्थागत ऋण की आदत डालना तथा बाहर से लिए गए फंड्स के प्रबंधन पर उनकी संस्थागत क्षमताओं** का निर्माण करना भी इसका एक उद्देश्य है।

लखपति दीदी पहल के बारे में

- इस योजना को **2023** में शुरू किया गया था।
- **योजना का लक्ष्य:** तीन करोड़ लखपति दीदी बनाना।
- यह ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) की **दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)** के तहत शुरू की गई है।
- लखपति दीदी SHG की एक सदस्य होती है, जो **घरेलू वार्षिक आय के रूप में एक लाख रुपये या उससे अधिक कमाती** है। इस आय की **गणना कम-से-कम चार कृषि मौसमों और/ या व्यावसायिक चक्रों** के लिए की जाती है। इसमें **औसत मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक** होती है, ताकि यह आय सतत हो।
    - स्वयं सहायता समूह (SHGs) **स्व-शासित** होते हैं और इन पर इनके **सदस्यों का ही नियंत्रण** होता है। **ये समूह समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों द्वारा बनाए जाते हैं।** इनमें **अधिकतम 20 सदस्य** शामिल होते हैं। सभी सदस्य एक **साझे उद्देश्य** के लिए SHGs से जुड़ते हैं।
- **वित्तीय सहायता:**
    - **पूंजीगत समर्थन: रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश निधि (CIF)[1]**
    - **बैंक ऋण: SHGs को बिना किसी जमानत (Collateral-free) के 20 लाख रुपये तक का बैंक ऋण; ब्याज अनुदान** (प्रति SHG अधिकतम 3,00,000 रुपये का ब्याज अनुदान); **ओवरड्राफ्ट सुविधा** (जन-धन खाता रखने वाली प्रत्येक SHG महिला सदस्य **5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट (OD)** सुविधा के लिए पात्र है)।
    - **महिला उद्यम प्रोत्साहन फंड[2]:** महिला उद्यमियों को मध्यम से दीर्घकालिक ऋण।
    - **सुभेद्यता में कमी हेतु फंड (VRF)[3]:** यह एक प्रकार का **रिवॉल्विंग फंड** है। इसे क्लस्टर स्तरीय संघों द्वारा **ग्राम संगठनों (VOs)** को दिया जाता है।
        - VRF एक **कॉर्पस** फंड है। इसे परिवारों व समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली **खाद्य असुरक्षा, स्वास्थ्य जोखिम, आकस्मिक बीमारी/ अस्पताल में भर्ती होने, प्राकृतिक आपदा** आदि से निपटने के लिए दिया जाता है।

[1] Community Investment Fund

[2] Women Enterprise Acceleration Fund

[3] Vulnerability Reduction Fund

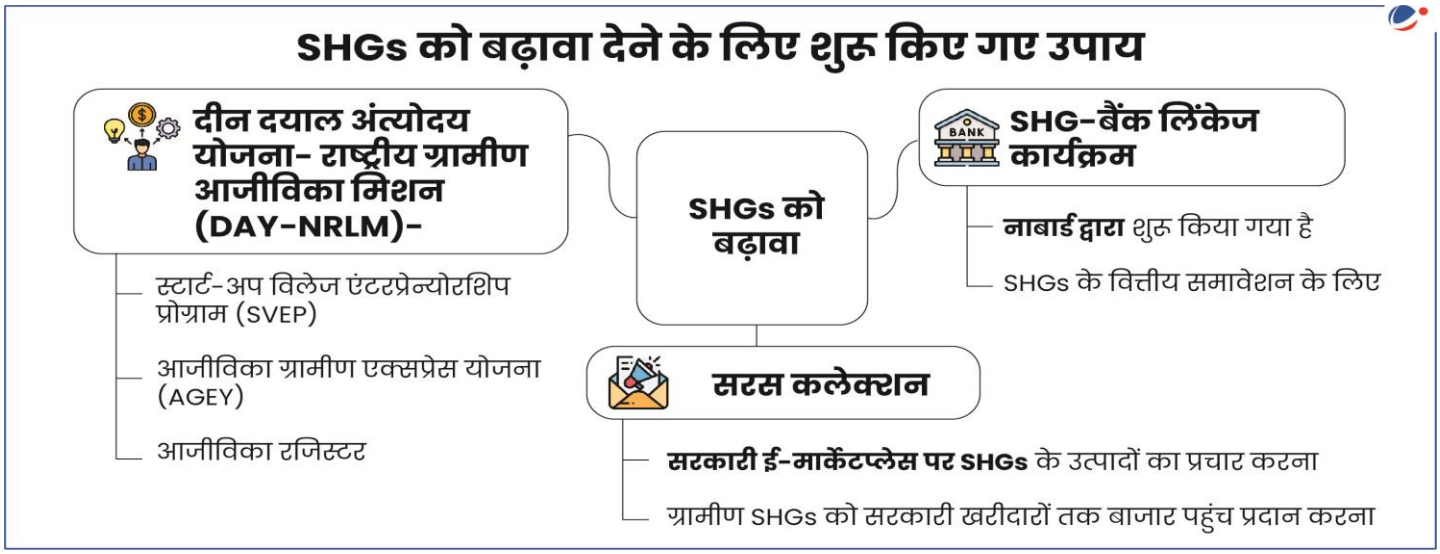

1.2. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 (Global Gender Gap Report 2024)

सुर्ख़ियों में क्यों?

'ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024' **विश्व आर्थिक मंच (WEF)** द्वारा जारी की गई।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह रिपोर्ट **ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स (GGGI) पर आधारित** है। यह इंडेक्स **चार प्रमुख आयामों के अंतर्गत 14 संकेतकों** के आधार पर तैयार किया जाता है। यह **वार्षिक आधार पर लैंगिक समानता की वर्तमान स्थिति और विकास** को मापता है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **वैश्विक स्तर पर:**
  - **शीर्ष 3 देश: आइसलैंड, फिनलैंड** और **नॉर्वे**
  - 2024 तक लैंगिक अंतराल में या महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता में 68.5% की कमी आई है।
    - स्वास्थ्य और उत्तरजीविता लैंगिक अंतराल 96% कम हो गया है, जबकि शिक्षा प्राप्ति अंतराल 94.9% कम हो गया है।
  - लैंगिक असमानता को दूर करने में प्रगति की वर्तमान दर से **पूर्ण समानता तक पहुंचने में 134 साल** लग सकते हैं।
- **भारत के संदर्भ में:**
  - वर्ष 2023 में इंडेक्स में भारत **146 देशों में 127वें** स्थान पर था। 2024 में यह **129वें स्थान** पर रहा।
  - **बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान** के बाद **भारत दक्षिण एशिया में 5वें स्थान** पर है।
  - **शिक्षा प्राप्ति और राजनीतिक सशक्तीकरण में मामूली गिरावट** दर्ज की गई है। इसके विपरीत, **आर्थिक भागीदारी और अवसर में थोड़ा सुधार** हुआ है।

1.3. लैंगिक असमानता सूचकांक (GII) 2022 {Gender Inequality Index (GII) 2022}

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने "लैंगिक असमानता सूचकांक (GII) 2022" जारी किया। GII 2022 को UNDP की **"मानव विकास रिपोर्ट 2023/2024"** में शामिल किया गया है। मानव विकास रिपोर्ट 2023/2024" को **"ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक री-इमेजनिंग को-ऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड"** शीर्षक से जारी किया गया है।

GII 2022 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **GII स्कोर:** GII स्कोर **0 से 1 के बीच** दिया जाता है। **0 स्कोर** से आशय है कि **महिला और पुरुष के बीच समानता** की स्थिति है। वहीं, **1 स्कोर** का अर्थ है कि पुरुष और महिला के बीच सभी आयामों या संकेतकों में **व्यापक असमानता** मौजूद है।
  - **GII स्कोर कम होने का अर्थ है उस देश में लिंग असमानता कम है।**
- **भारत:** सूचकांक में शामिल **विश्व के 193 देशों में से भारत 108वें स्थान** पर है। भारत का **GII स्कोर 0.437** है। GII 2021 में भारत **191 देशों में से 122वें** स्थान पर था।
- सूचकांक में **डेनमार्क को सर्वोच्च रैंकिंग** प्राप्त हुई है। उसके बाद **नॉर्वे** और **स्विट्जरलैंड** का स्थान है।

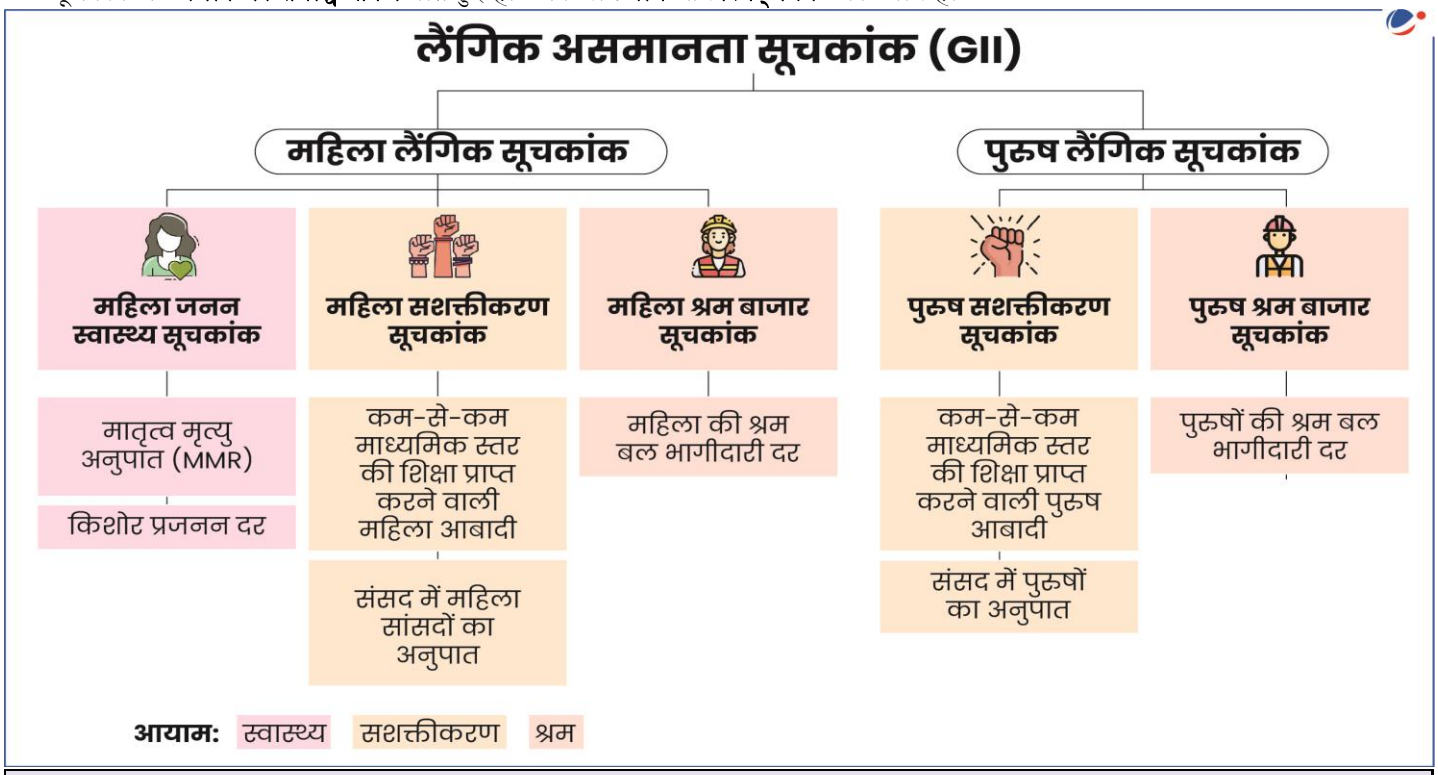

संबंधित सुर्खियां

एलायंस फॉर ग्लोबल गुड: जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी[4]

- यह सरकारों, उद्योग और विकास संगठनों का एक **वैश्विक समूह** है। इसका उद्देश्य वै**श्विक सर्वोत्तम पद्धतियों को एक साथ लाना; ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देना** तथा **महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यम जैसे प्रमुख क्षेत्रकों में निवेश** को आकर्षित करना है।
- **उत्पत्ति:** इसे विश्व आर्थिक मंच (WEF) और भारत के समर्थन से **स्विट्जरलैंड के दावोस** में 2024 में आरंभ किया गया था। यह पहल **G-20 नेताओं की घोषणा में की गई प्रतिबद्धताओं** पर आधारित है।
  - इसे **बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन** सहायता प्रदान कर रहा है। इसका संचालन **कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सेंटर फॉर वीमेन लीडरशिप** द्वारा किया जा रहा है, जिसमें **WEF** एक **'नेटवर्क पार्टनर'** और **इन्वेस्ट इंडिया** एक **'संस्थागत पार्टनर'** है।

ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़
देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं
✓ सामान्य अध्ययन ✓ निबंध ✓ दर्शनशास्त्र
2025 ENGLISH MEDIUM 16 FEBRUARY हिन्दी माध्यम 16 फरवरी
2026 ENGLISH MEDIUM 16 FEBRUARY हिन्दी माध्यम 16 फरवरी

[4] Alliance for Global Good: Gender Equity and Equality

1.4. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment of Women at Workplace)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट में मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के शोषण, यौन उत्पीड़न और लैंगिक असमानता** का खुलासा हुआ, जिसमें कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लगातार जारी मुद्दे पर प्रकाश डाला गया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, निषेध और रोकथाम) अधिनियम, 2013 या POSH अधिनियम के बारे में

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकना और उनका समाधान करना है। साथ ही, ऐसे **उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र प्रदान** करना भी इसका एक उद्देश्य है।
- **सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत निर्धारित विशाखा दिशा-निर्देशों** में **कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को परिभाषित** किया गया है।
- **शिकायत समिति:** यह यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निपटान के लिए **आंतरिक शिकायत समिति (ICC) और स्थानीय शिकायत समितियों** के गठन का प्रावधान करता है।
- **आंतरिक शिकायत समिति (ICC)[5] और स्थानीय शिकायत समितियों (LCC)[6] के बारे में:**
  - **ICC:** 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक निजी या सार्वजनिक संगठन में एक ICC को अनिवार्य किया गया है।
    - **संरचना:**
      - **अध्यक्ष:** इस समिति का अध्यक्ष कार्यस्थल पर कार्य करने वाले कर्मचारियों में से **वरिष्ठ स्तर पर कार्यरत कोई महिला** होंगी।
      - **सदस्य:** कर्मचारियों में से कम-से-कम 2 सदस्य।
      - उनमें से कम-से-कम **आधे सदस्य महिलाएं** होनी चाहिए।
      - **बाह्य सदस्य:** गैर-सरकारी संगठनों या एसोसिएशन में से ऐसा एक सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के समाधान के प्रति प्रतिबद्ध है या ऐसा कोई व्यक्ति, जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से सुपरिचित है।
    - **कार्यकाल:** अधिकतम 3 वर्ष
    - जांच के लिए पीठासीन अधिकारी सहित ICC के कम-से-कम 3 सदस्यों को उपस्थित रहना होगा।
  - **स्थानीय शिकायत समिति (LCC):** असंगठित क्षेत्रक से संबंधित शिकायतों के लिए या जहां ICC का गठन नहीं किया गया है या शिकायत नियोक्ता के विरुद्ध है, वहां सरकार द्वारा जिला स्तर पर इसकी स्थापना की जाएगी।
  - **ICC/ LCC की शक्तियां: सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908** के तहत ICC के पास जांच के दौरान **दीवानी अदालत के समान शक्तियां** होती हैं।

1.5. महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा (Domestic Violence Against Women)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने यह फिर से स्पष्ट किया है कि **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005** भारत की सभी महिलाओं पर लागू होता है, चाहे उनकी धार्मिक या सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इसका उद्देश्य उन्हें घरेलू दुर्व्यवहार या हिंसा से बचाना है।

[5] Internal Complaints Committee

[6] Local Complaints Committee

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (PWDVA)[7], 2005 के बारे में

- **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(3)** में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए **2005** में, **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (PWDVA)** पारित किया गया था।
  - **संविधान का अनुच्छेद 15(3)** विधायिका को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है।
- **घरेलू हिंसा** में शारीरिक, मौखिक, भावनात्मक, आर्थिक और/या लैंगिक शोषण शामिल है।
- **कवरेज:** सभी महिलाएं, इनमें एक साझा घर में रहने वाली माता, बहन, पत्नी, विधवा या पार्टनर शामिल हो सकती हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत **एक बच्चा भी राहत का हकदार** है।
- **किसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है:**
  - कोई भी वयस्क पुरुष सदस्य जो महिला के साथ घरेलू संबंध में रहा है।
    - 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने **हिरल पी. हरसोरा और अन्य बनाम कुसुम नारोत्तमदास हरसोरा और अन्य वाद** में एक अहम फैसला सुनाया। इस फैसले में कोर्ट ने PWDVA कानून में उल्लिखित "व्यक्ति (Person)" शब्द से पहले आने वाले "वयस्क पुरुष (Adult male)" शब्द को हटा दिया।
  - पति या साथी पुरुष के रिश्तेदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसमें पुरुष साथी के पुरुष और महिला रिश्तेदार, दोनों शामिल हैं।
- PWDVA के तहत वैवाहिक बलात्कार के मामले में सिविल निवारण प्रदान किया जाता है, लेकिन आरोपी के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती।

घरेलू हिंसा से जुड़े अन्य प्रावधान

- **भारतीय न्याय संहिता, 2023: धारा 85 और 86** विवाहित महिलाओं के प्रति उनके पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता को परिभाषित करती है। इसमें उन पर कार्रवाई करने का प्रावधान भी है।
  - **भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, जो 1983 में लागू हुई,** विवाहिता महिलाओं को उनके पति या ससुराल पक्ष द्वारा किए गए घरेलू हिंसा और उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करती है।

1.6. एबॉर्शन या गर्भ की समाप्ति (Abortion)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने **14 साल की एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता के चिकित्सकीय रूप से लगभग 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति** की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय संविधान के **अनुच्छेद 142** के तहत विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दिया है।

एबॉर्शन से संबंधित भारतीय कानून के बारे में

- **"भारतीय न्याय संहिता, 2023"** की **धारा 88-92** में गर्भपात से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
- **गर्भ का चिकित्सकीय समापन (MTP) अधिनियम, 1971:** यह अधिनियम पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर (RMPs)[8] द्वारा कुछ विशेष श्रेणी की महिलाओं के **गर्भ को समाप्त करने** का प्रावधान करता है।
- **MTP (संशोधन) अधिनियम, 2021:** इस संशोधन के जरिए **गर्भ की समाप्ति की समय सीमा को कुछ विशेष मामलों में बढ़ा** दी गई (टेबल देखें)।

चिकित्सकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता	MTP (संशोधन) अधिनियम, 2021 के अनुसार गर्भावस्था अवधि
एक चिकित्सक (RMPs) की सलाह पर	20 सप्ताह तक की गर्भावधि
दो चिकित्सकों (RMPs) की सलाह पर	20 से 24 सप्ताह तक की गर्भावधि (MTP नियम, 2021 में सूचीबद्ध महिलाओं की विशेष श्रेणियां)
विशेष स्थिति	24 सप्ताह से अधिक की गर्भावधि: इस दौरान भ्रूण की विकृति के आधार पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की सलाह पर ही अबॉर्शन का अधिकार उपलब्ध है।

[7] Protection of Women from Domestic Violence Act

[8] Registered Medical Practitioners

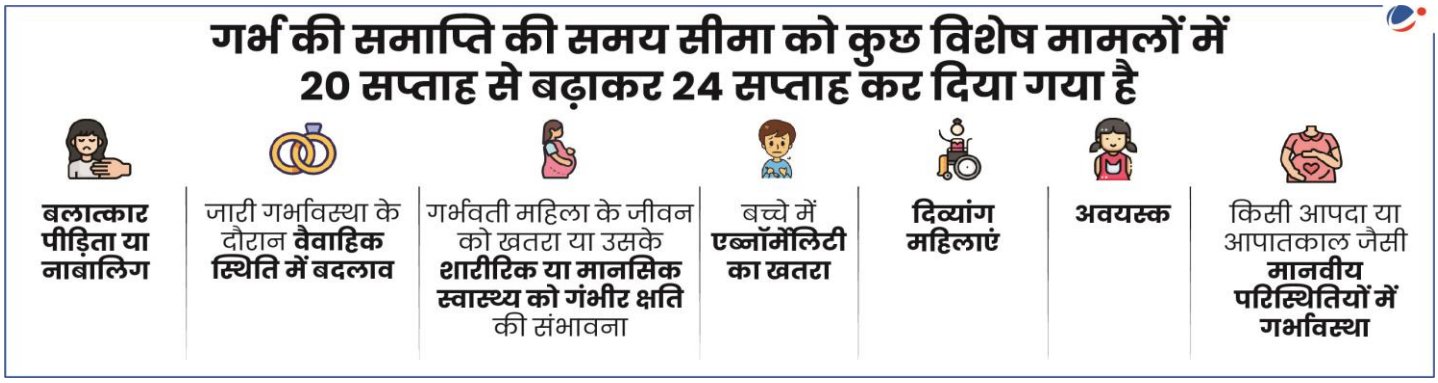

- 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि MTP अधिनियम के तहत **बलात्कार की परिभाषा में वैवाहिक बलात्कार भी शामिल** होना चाहिए।
    - इसके अलावा, **सुप्रीम कोर्ट ने विवाहित के साथ-साथ अविवाहित महिलाओं को गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार** दे दिया है।

1.7. सरोगेसी (Surrogacy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने **सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022** में संशोधन कर **सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम, 2024** अधिसूचित किए।

सरोगेसी के बारे में एवं सरोगेसी के प्रकार

- सरोगेसी एक ऐसी प्रक्रिया है **जिसके तहत कोई और महिला इच्छुक दंपत्ति के लिए गर्भधारण करती है तथा उनके बच्चे को जन्म देती है।**
    - **इच्छुक दंपत्ति** से आशय माता-पिता बनने के इच्छुक ऐसे दंपत्ति से है **जिनके चिकित्सीय लक्षण जेस्टेशनल सरोगेसी को आवश्यक बनाते हैं।**
        - **जेस्टेशनल सरोगेसी** एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत **एक सरोगेट माँ अपने गर्भ में भ्रूण का प्रत्यारोपण कराकर इच्छुक दंपत्ति के लिए बच्चे को पालती है।** यह **बच्चा आनुवंशिक रूप से सरोगेट माँ से संबंधित नहीं** होता है।
        - **ट्रेडिशनल सरोगेसी** में, इच्छुक पिता के शुक्राणु का उपयोग करके सरोगेट माँ का कृत्रिम गर्भाधान (Artificial insemination) किया जाता है। सरोगेट माँ का गर्भाधान या तो प्राकृतिक गर्भाधान या कृत्रिम गर्भाधान के जरिए हो सकता है। इस प्रक्रिया में सरोगेट माँ जिस बच्चे को जन्म देती है, उसकी वह **जैविक माँ** भी बन जाती है।
- **सरोगेसी के प्रकार:**
    - **परोपकारी (Altruistic) सरोगेसी:** इसमें गर्भावस्था के दौरान **चिकित्सा व्यय और बीमा कवरेज के अलावा सरोगेट माँ को कोई मौद्रिक मुआवजा नहीं** दिया जाता है।
    - **वाणिज्यिक (Commercial) सरोगेसी:** इसमें सरोगेसी या बुनियादी चिकित्सा व्यय और बीमा कवरेज से इतर मौद्रिक लाभ या प्रतिफल (नकद या वस्तु के रूप में) के लिए की जाने वाली संबंधित प्रक्रियाएं शामिल हैं।
- सरकार ने **2015 में विदेशी नागरिकों के लिए सरोगेसी पर प्रतिबंध** लगा दिया था।

भारत में सरोगेसी से जुड़े कानून

- **सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (सरोगेसी अधिनियम, 2021):**
    - इसमें **केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति** प्रदान की गई है एवं व्यावसायिक या वाणिज्यिक सरोगेसी को अपराध की श्रेणी में डाला गया है।
    - अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करने तथा **स्टेट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड (SARTSB)** आदि के काम-काज की निगरानी करने के लिए **नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड (NARTSB)** की स्थापना की गई है।
    - सरोगेट बच्चे के मामले में **गर्भपात के लिए सरोगेट माँ की लिखित सहमति और उपयुक्त प्राधिकारी की अनुमति** की आवश्यकता होती है।
        - यह अनुमति **मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट, 1971** के अनुरूप होनी चाहिए।
    - **35 से 45 साल के बीच की भारतीय विधवा या तलाकशुदा भारतीय महिलाएं** भी अन्य शर्तें पूरी करने पर **सरोगेसी का विकल्प चुन सकती** हैं।

सरोगेट मां के लिए पात्रता मानदंड	दंपति के लिए पात्रता मानदंड
• सरोगेट मां **25 से 35 वर्ष की उम्र के बीच की इच्छुक और विवाहित महिला** होनी चाहिए और उसका **अपना एक बच्चा** होना चाहिए। • किसी भी महिला को **अपने जीवनकाल में केवल एक बार सरोगेट मां बनने की अनुमति है।** • सरोगेट मां के पास किसी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर से सरोगेसी के लिए **चिकित्सकीय और मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र** होना चाहिए।	• इच्छुक दंपति के लिए कानूनी रूप से **न्यूनतम 5 वर्षों से विवाहित** होना अनिवार्य है। इसमें **महिला के लिए आयु सीमा 23-50 वर्ष और पुरुष के लिए 26-55 वर्ष** निर्धारित की गई है। • साथ ही, उनकी **कोई जीवित संतान (जैविक, दत्तक या सरोगेट) भी नहीं** होनी चाहिए। यदि उनका बच्चा मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग है या जीवन-घातक रोग से पीड़ित है, तो सरोगेसी की अनुमति दी जा सकती है। • **दंपति के लिए अनिवार्यता का प्रमाण-पत्र:** जिला मेडिकल बोर्ड से इच्छुक दंपति (एक या दोनों) के संतान पैदा करने में असमर्थ होने का प्रमाण-पत्र। मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा सरोगेट बच्चे के पालन-पोषण और संरक्षण के लिए पारित आदेश। • सरोगेट माता के लिए प्रसव के बाद प्रसव संबंधी जटिलताओं को कवर करने वाला **बीमा कवरेज, जो 36 महीने की अवधि** के लिए होगा।

- **सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम[9], 2021 (ART अधिनियम):**
  - इसका उद्देश्य **ART क्लीनिक्स और ART बैंकों का विनियमन एवं पर्यवेक्षण** करते हुए दुरुपयोग को रोकना है। साथ ही, प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दों के समाधान के लिए ART सेवाओं का सुरक्षित और नैतिक प्रयोग सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है।
- **सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 के अन्य मुख्य प्रावधान:**
  - सरोगेट माँ पर किसी भी सरोगेसी प्रक्रिया के **प्रयासों की संख्या 3 बार से अधिक नहीं** होनी चाहिए।
- **सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम, 2024:**
  - यदि जिला चिकित्सा बोर्ड यह प्रमाणित करता है कि इच्छुक दंपत्ति चिकित्सकीय रूप से संतान पैदा करने में असमर्थ है तथा उसे किसी अन्य डोनर के युग्मक (शुक्राणु या अंडाणु) की आवश्यकता होगी, तो ऐसे में **डोनर से प्राप्त युग्मक (Gamete) का उपयोग करके सरोगेसी की जा सकती** है।
    - हालाँकि, सरोगेसी के जरिए पैदा होने वाले बच्चे में इच्छुक दंपत्ति में से किसी न किसी एक का युग्मक जरूर होना चाहिए।
    - **सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022** के **नियम 7** के तहत दाता युग्मकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा हुआ था।
  - सरोगेसी से संतान चाहने वाली **सिंगल महिला (विधवा या तलाकशुदा) को स्वयं के अंडाणुओं (Self-eggs) और दाता शुक्राणुओं (Donor sperms)** का उपयोग करना होगा।
  - **अरुण मुतुवेल बनाम भारत संघ वाद (2023)** में सुप्रीम कोर्ट ने **मेयर-रोकितांस्की-कुस्टर-हॉसर (MRKH)[10] सिंड्रोम** से पीड़ित महिला को **सरोगेसी हेतु दाता अंडाणु के उपयोग की अनुमति** दी थी।
    - MRKH एक **जन्मजात दुर्लभ रोग** है। यह **प्रजनन तंत्र को प्रभावित** करता है और **बंध्यता (Infertility)** का कारण बनता है।

1.8. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

1.8.1. मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961 (Maternity Benefit Act, 1961)

मद्रास हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि **संविदा कर्मचारी भी मातृत्व हितलाभ की हकदार हैं।**

- न्यायालय ने कहा कि यदि संविदा वाले नियोजन की शर्तों में मातृत्व हितलाभ शामिल नहीं है या कम हितलाभ का प्रावधान है, तो फिर **मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधान लागू होंगे।**

मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961 के बारे में

- यह महिला कर्मियों को **वेतन सहित मातृत्व अवकाश** का लाभ प्रदान करता है।
- **इस अधिनियम में 2017 के संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं:**
  - महिलाओं के लिए **सवेतन मातृत्व अवकाश की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह** कर दिया गया है। हालांकि, यह लाभ **अधिकतम दो जीवित बच्चों** तक ही प्राप्त होगा।

[9] Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act

[10] Mayer Rokitansky-Kuster-Hauser

- इन 26 सप्ताहों में से, **अधिकतम 8 सप्ताह का अवकाश प्रसव की अपेक्षित तारीख से पहले** लिया जा सकता है।
- कार्य की प्रकृति के आधार पर, संशोधन अधिनियम ने **नर्सिंग माताओं के लिए "वर्क फ्रॉम होम" का प्रावधान** किया है।
- **कमीशनिंग माताओं और दत्तकग्राही माताओं को 12 सप्ताह का मातृत्व हितलाभ** दिया गया।

1.8.2. बाल देखभाल अवकाश (Child Care Leave: CCL)

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि माताओं को बाल देखभाल अवकाश (CCL) देने से मना करना संविधान का उल्लंघन है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को **बाल देखभाल अवकाश (CCL) पर अपनी नीतियों की समीक्षा** करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जुड़े मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी संविधान के अनुच्छेद 15 द्वारा गारंटीकृत एक संवैधानिक अधिकार** है।
  - **अनुच्छेद 15** में प्रावधान किया गया है कि राज्य **केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं** करेगा।
- प्रसव दौरान दिए गए **मातृत्व हितलाभ पर्याप्त नहीं हैं** और संभवतः ये बाल देखभाल अवकाश की अवधारणा से अलग हैं।

बाल देखभाल अवकाश (CCL) के बारे में

- केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली, 1972 के नियम 43-C में **18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाली महिला कर्मचारियों को अपने बच्चों की देखभाल के लिए संपूर्ण सेवा वर्ष में 730 दिन के CCL** का प्रावधान किया गया है।
  - यह सुविधा केवल दो बच्चों तक ही उपलब्ध होगी। यह योजना 18 वर्ष की आयु तक के दो सबसे बड़े जीवित बच्चों की देखभाल के लिए उपलब्ध है।
  - उल्लेखनीय है कि दिव्यांग बच्चे के मामले में **कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं** की गई है।
  - CCL **एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम तीन अवधियों** के लिए दी जा सकती है।
    - **अपवाद:** सिंगल पैरेंट महिला सरकारी कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम **6 अवधियों** के लिए CCL की अनुमति दी जा सकती है।
- हिमाचल प्रदेश राज्य ने **CCL के इन प्रावधानों को नहीं अपनाया** है।

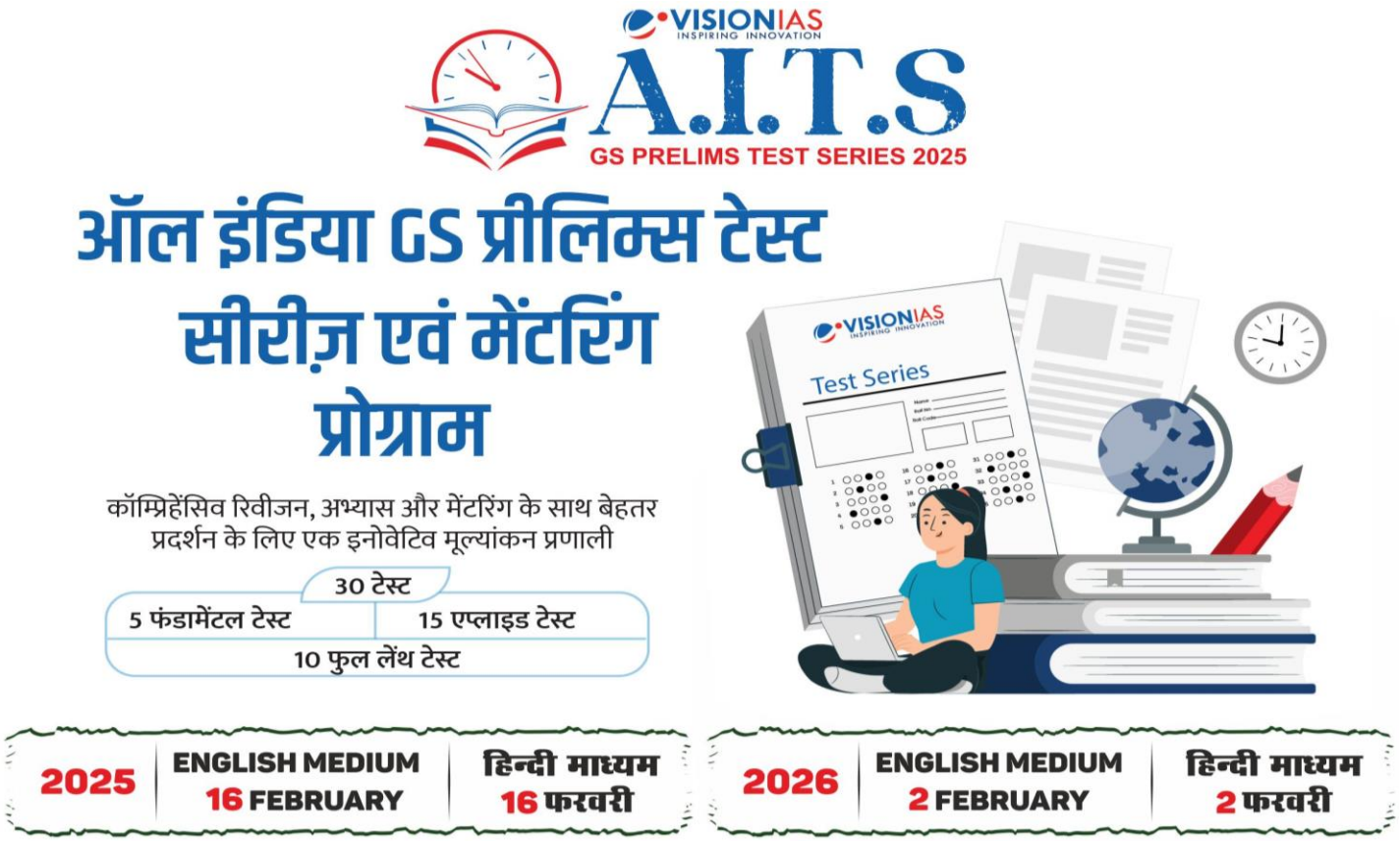

2. बच्चों से संबंधित मुद्दे और घटनाक्रम (Issues and Developments Related To Children)

2.1. बाल श्रम (Child Labour)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **"बाल श्रम के निकृष्ट स्वरूप"** से निपटने वाले **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** के **कन्वेंशन-182 की 25वीं वर्षगांठ** मनाई गई।

ILO कन्वेंशन नंबर-182 के बारे में

- ILO का कन्वेंशन-182 **"बाल श्रम के सबसे बदतर रूपों पर प्रतिबंध एवं उन्मूलन"** से संबंधित है। यह **सार्वभौमिक रूप से अभिपुष्टि यानी सभी देशों द्वारा अनुसमर्थित[11] वाला पहला ILO कन्वेंशन** है।
- भारत ने **2017 में ILO के कन्वेंशन-138 के साथ कन्वेंशन-182 की भी अभिपुष्टि** कर दी थी। ILO का **कन्वेंशन-138 "कार्य करने की न्यूनतम आयु निर्धारित करने"** से संबंधित है।

भारत में बाल श्रम की स्थिति

- **जनगणना 2011** के अनुसार, भारत में **10.1 मिलियन बच्चे (5-14 वर्ष के कुल बाल जनसंख्या का 3.9%)** या तो **'मुख्य श्रमिक' या 'सीमांत श्रमिक'** के रूप में काम कर रहे हैं।
- भारत में **55% बाल श्रमिक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश** से हैं।
- भारत में मुख्य रूप से **कृषि, घरेलू उद्योग, सड़क किनारे के ढाबों** आदि में बाल श्रमिक देखे जाते हैं।

बाल श्रम रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - **मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 24):** यह किसी भी **कारखाने, खदान या खतरनाक व्यवसाय** में **14 वर्ष से कम** आयु के बच्चों को काम पर रखने पर रोक लगाता है।
  - **राज्य की नीति के निदेशक तत्व {अनुच्छेद 39(e)}:** राज्य यह सुनिश्चित करे कि पुरुष और महिला कामगारों के स्वास्थ्य एवं क्षमता का तथा बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो। राज्य यह भी सुनिश्चित करे कि आर्थिक जरूरत से मजबूर होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या क्षमता के लिए प्रतिकूल हो।
- **कानूनी प्रावधान:**
  - **बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016:** यह **सभी प्रकार के व्यवसायों में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों** और खतरनाक व्यवसायों में **14-18 वर्ष के किशोरों** को काम पर रखने पर रोक लगाता है।
    - इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे- परिवार के उद्यम में सहायता, ऑडियो-वीडियो मनोरंजन उद्योग में कलाकार के रूप में कार्य, खेल गतिविधियां (सर्कस को छोड़कर) आदि।

[11] Universally ratified

HQ: जिनेवा, स्विट्जरलैंड

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)

उत्पत्ति: 1919 में **वर्साय की संधि** के तहत इसे गठित किया गया था। ILO को इस विश्वास को प्रतिबिंबित करने के लिए गठित किया गया था कि सार्वभौमिक और स्थायी शांति केवल तभी प्राप्त की जा सकती है जब यह सामाजिक न्याय पर आधारित हो।

- ILO, **1946 में संयुक्त राष्ट्र की प्रथम विशेष एजेंसी बन** गई।

परिचय: इसकी **संरचना त्रिपक्षीय** है। यह **सरकारों, नियोक्ताओं** और **श्रमिकों** को एक मंच प्रदान करता है।

उद्देश्य: श्रम मानकों को निर्धारित करके, नीतियों को विकसित करके और सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए गरिमापूर्ण कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करके **सामाजिक न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानव व श्रम अधिकारों को बढ़ावा देना।**

सदस्य: 187 (भारत **1919** से इसका सदस्य है)

ILO को **1969 में नोबेल शांति पुरस्कार** से सम्मानित किया गया था।

भारत और ILO

1947 में नई दिल्ली में प्रथम प्रिपेट्री एशियन रीजनल कांफ्रेंस (द्वितीय ILO रीजनल कांफ्रेंस) संपन्न हुई

अनुसमर्थित अभिसमय (8 में से 6)

- बलात् श्रम अभिसमय, 1930 (सं. 29)
- बलात् श्रम उन्मूलन अभिसमय, 1957 (सं. 105)
- समान पारिश्रमिक अभिसमय, 1951 (सं. 100)
- भेदभाव (रोजगार और व्यवसाय) अभिसमय, 1958 (सं. 111)
- न्यूनतम आयु अभिसमय, 1973 (सं. 138)
- बाल श्रम के सबसे निकृष्ट स्वरूप पर अभिसमय, 1999 (सं. 182)

गैर-अनुसमर्थित अभिसमय

- संघ बनाने की स्वतंत्रता और संगठित होने के अधिकार के संरक्षण पर अभिसमय, 1948 (सं. 87)
- संगठित होने के अधिकार और सामूहिक सौदेबाजी पर अभिसमय, 1949 (सं. 98)

कार्यस्थल पर मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों पर ILO घोषणा-पत्र: इसमें 5 प्रमुख सिद्धांत शामिल हैं:

- संघ बनाने की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को मान्यता;
- सभी प्रकार के बलात् श्रम या बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन;
- बाल श्रम का प्रभावी उन्मूलन;
- रोजगार और व्यवसाय के संबंध में भेदभाव का उन्मूलन; तथा
- सुरक्षित और स्वस्थ कार्य दशाएं

मुख्य रिपोर्ट्स:

- **ILO की विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट 2024-26:** जलवायु कार्रवाई और जस्ट ट्रांजिशन के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण।
- रीजनल कंपेनियन रिपोर्ट फॉर एशिया एंड द पेसेफिक
- भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 {ILO और मानव विकास संस्थान (IHD)}
- ILO ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स इन द लेबर फ़ोर्स

2.2. भारत में बाल विवाह (Child Marriage in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने गैर-सरकारी संगठन **'सोसाइटी फॉर एनलाइटनमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन'** द्वारा दायर एक याचिका में बाल विवाह पर रोक के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि **बाल विवाह रोकथाम अधिनियम (PCMA)[12], 2006** को **व्यक्तिगत कानूनों और परंपराओं से बाधित नहीं** किया जा सकता।

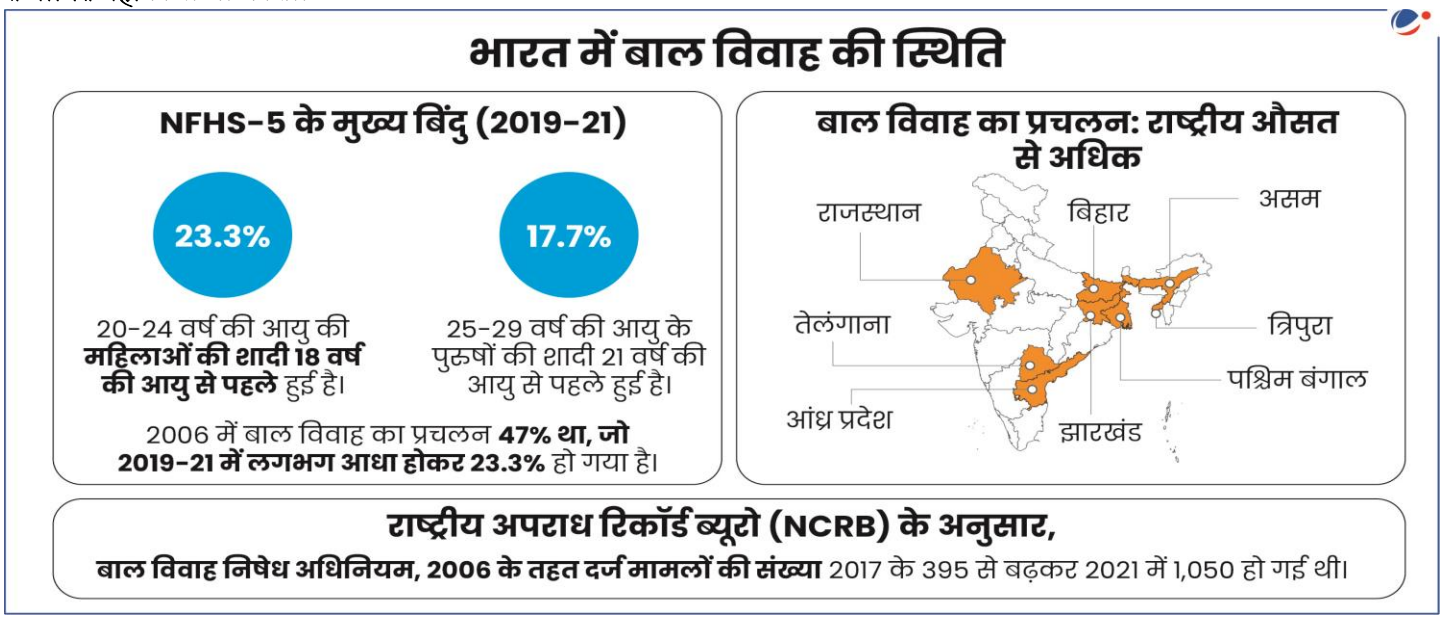

मुख्य दिशा-निर्देशों पर एक नज़र

- **कानूनी प्रवर्तन:**
  - राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश (UT) **बाल विवाह रोकथाम अधिकारियों (CMPOs)[13]** की नियुक्ति करेंगे।
  - एक **विशेष पुलिस यूनिट और राज्य विशेष बाल विवाह रोकथाम यूनिट** की स्थापना की जाए।
- **न्यायिक उपाय:**
  - मजिस्ट्रेट को **स्वत: संज्ञान से कार्रवाई करने और निवारक निषेधाज्ञा (Preventive injunctions) जारी करने** का अधिकार दिया जाए।
  - बाल विवाह के मामलों के लिए **विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स** का गठन किया जाए।
- **अन्य:**
  - **"खुले में शौच मुक्त गांव"** मॉडल की तर्ज पर **"बाल विवाह मुक्त गांव"** पहल शुरू की जाए।
  - **12वीं कक्षा तक स्कूल जाने वाली लड़कियों की प्रतिदिन उपस्थिति को ट्रैक** करने के लिए **प्रौद्योगिकी-संचालित निगरानी प्रणाली** की स्थापना की जाए।

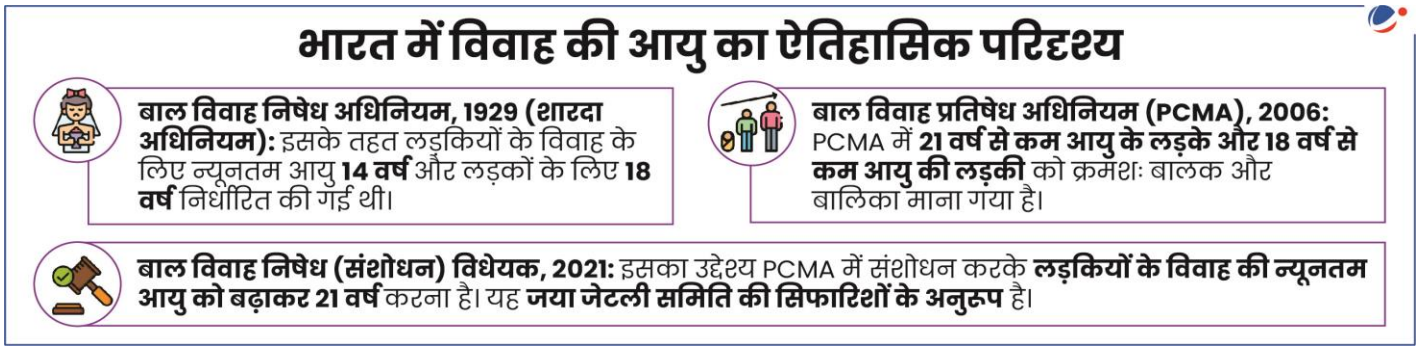

[12] Prohibition of Child Marriage Act

[13] Child Marriage Prevention Officers

PCMA, 2006 के मुख्य प्रावधान

- **उद्देश्य:** बाल विवाह को रोकने और पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए यह कानून बनाया गया है। साथ ही, उन लोगों के लिए सजा बढ़ाई गई है जो बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं, करवाते हैं या उसका आयोजन करते हैं।
- PCMA में **21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की** को क्रमशः बालक और बालिका माना गया है।
- बाल विवाह को रद्द किया जा सकता है, यदि विवाह के समय नाबालिग रहा व्यक्ति ऐसा करना चाहे, भले ही विवाह कभी भी सम्पन्न हुआ हो।
- **प्राधिकरण:** हर राज्य में बाल विवाह रोकथाम अधिकारी (CMPOs) नियुक्त किए जाएंगे। ये अधिकारी बाल विवाह को रोकेंगे, पीड़ितों की सुरक्षा करेंगे और अपराधियों की सजा सुनिश्चित करेंगे।
  - **बाल विवाह की रिपोर्टिंग किसे की जा सकती है:** नजदीकी पुलिस स्टेशन, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट, चाइल्ड हेल्प लाइन/ जिला मजिस्ट्रेट और बाल कल्याण समिति।
- **निरस्त या रद्द करने के लिए याचिका:**
  - विवाह में सम्मिलित बच्चे के वयस्क होने के **2 वर्ष के भीतर विवाह को रद्द** करने की मांग की जा सकती है।
  - **विशेष परिस्थितियां जिनमें बाल विवाह को अदालत द्वारा रद्द और शून्य किया जा सकता है**:
    - जब बाल विवाह के आयोजन को रोकने के लिए आदेश जारी किए जाने के बावजूद विवाह किया गया हो;
    - जब बच्चे को उनके कानूनी अभिभावक से बलपूर्वक या धोखाधड़ी से अलग किया गया हो;
    - जब विवाह के लिए अवयस्क की तस्करी या बिक्री की गई हो आदि।
  - **दंड:** इस अधिनियम के तहत अपराध संज्ञान योग्य और गैर-जमानती होते हैं। इसमें निम्नलिखित दंड के भोगी होंगे-
    - वह व्यक्ति जो किसी बाल विवाह का आयोजन करता है, निर्देशित करता है या उसमें सहायता करता है;
    - 18 वर्ष की आयु से अधिक का वयस्क पुरुष, जो बाल-विवाह करता है; तथा
    - वह व्यक्ति जो बच्चे के कर्ता-धर्ता के रूप में जिम्मेदार है (माता-पिता, अभिभावक या किसी संगठन का सदस्य), जो बाल विवाह को बढ़ावा देता है, अनुमति देता है, उसमें भाग लेता है या उसे रोकने में विफल रहता है।

सहमति की आयु (Age of Consent) से जुड़े महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

रुखमाबाई वाद (1884): यह मामला **सहमति की आयु और वैवाहिक अधिकारों की बहाली (Restitution of Conjugal Rights)** से जुड़ा था। इसमें **महिला की इच्छा और सहमति** को मान्यता दी गई।

फुलमनी दासी मामला (1889): यह **नाबालिग लड़की के साथ वैवाहिक बलात्कार और उसकी मृत्यु** से जुड़ा था। इस घटना के मद्देनजर **मालाबारी ने अभियान** चलाया, जिसके परिणामस्वरूप **एज ऑफ कंसेंट एक्ट, 1891** पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत सहमति की आयु **10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष** कर दी गई।

इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद (2017): इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने **IPC की धारा 375 के अपवाद 2 के तहत, आयु सीमा को 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष** कर दिया। **(भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 63** इस प्रावधान के अनुरूप है।)

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015:** इसमें उन बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं, जिनकी विवाह की कानूनी उम्र होने से पहले ही **विवाह करा दिए जाने का खतरा** है।
- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना (2015):** इसमें **बालिकाओं के जन्म पर उत्सव मनाने**, **सुकन्या समृद्धि खातों को बालिकाओं के जन्म से जोड़ने** और बाल विवाह को रोकने के घटक शामिल हैं।
- **बाल विवाह को रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना:** यह एक व्यापक रूपरेखा है, जिसका उद्देश्य उन लड़कियों को सहायता प्रदान करना है, जिनका कम उम्र में विवाह होने का खतरा है।
- **आपातकालीन आउटरीच सेवाएं:** भारत सरकार ने शॉर्ट कोड 1098 के साथ चाइल्डलाइन की शुरुआत की है। यह बाल विवाह की रोकथाम सहित संकटग्रस्त बच्चों के लिए 24x7 टेलीफोन आपातकालीन आउटरीच सेवा है।
- **हिमाचल प्रदेश** विधान सभा ने महिलाओं की विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने वाला विधेयक पारित किया है।

2.3. किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (Juvenile Justice Act, 2015)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने **"कानून का उल्लंघन करने वाले बालक (CCL)[14] की ओर से उसकी माता बनाम कर्नाटक राज्य"** मामले में एक निर्णय दिया है। इस मामले में किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में **जघन्य अपराधों से जुड़े "कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों के प्रारंभिक मूल्यांकन"** संबंधी प्रावधान पर विचार किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जुड़े मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **प्रारंभिक मूल्यांकन** पर किशोर न्याय बोर्ड (JJB) के आदेश के खिलाफ **किशोर न्यायालय (सत्र न्यायालय में नहीं) में अपील दायर की जाएगी,** जहां भी यह न्यायालय मौजूद हो।
  - साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी अपीलों की सुनवाई को प्राथमिकता देने के लिए **30 दिनों की समय सीमा** भी निर्धारित की है।
- **प्रारंभिक मूल्यांकन पूरा करने के लिए निर्धारित 3 महीने की समयावधि अनिवार्य नहीं है,** बल्कि केवल **निर्देश** के रूप में है।

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम (जे.जे.अधिनियम), 2015 के बारे में

- **बालक की परिभाषा:** वह व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।
- 2015 में, इसमें एक नया प्रावधान शामिल किया गया, जिसके तहत 16-18 वर्ष की आयु के बच्चे पर जघन्य अपराधों के मामले में वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है।
  - **किशोर न्याय बोर्ड** यह निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन करता है कि ऐसे बच्चे पर वयस्क या नाबालिग के रूप में मुकदमा चलाया जाए या नहीं।
- **संस्थागत व्यवस्था:** CCL के मामलों को देखने के लिए प्रत्येक जिले में **किशोर न्याय बोर्ड (JJB) और बाल कल्याण समिति (CWC)** की स्थापना अनिवार्य है।
- **गंभीर अपराध करने वाले 16 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए विशेष प्रावधान: धारा 15** के तहत JJB बच्चे की क्षमता का आकलन करने के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन करेगा।
  - प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद, बच्चों से संबंधित मामलों का न्यायालय यह तय कर सकता है कि बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं।
- **बाल देखभाल संस्थानों (CCIs)[15] का अनिवार्य पंजीकरण:** बच्चों को आश्रय देने के उद्देश्य से सभी CCIs (राज्य द्वारा संचालित, स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन), चाहे उन्हें सरकारी अनुदान प्राप्त हो या न हो, पंजीकृत होना अनिवार्य है। इस संबंध में गैर-अनुपालन होने पर गंभीर रूप से दंडित किया जाएगा।

जे.जे. (संशोधन) अधिनियम, 2021 के बीच तुलना

विशेषताएं	किशोर न्याय (संशोधन) अधिनियम, 2021
दत्तक ग्रहण (Adoption)	**डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM)** सहित **एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (ADM)** दत्तक ग्रहण का आदेश जारी कर सकता है।
अपील	DM द्वारा पारित **दत्तक ग्रहण के आदेश से असहमत** कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश दिए जाने के 30 दिनों के भीतर **डिविजनल कमिश्नर के समक्ष अपील दायर कर सकता है।**
नामित न्यायालय (Designated Court)	इसमें प्रावधान किया गया है कि अधिनियम के तहत **सभी अपराधों के लिए बाल न्यायालय में ट्रायल चलाया जाएगा।**

2.3.1. मॉडल फोस्टर केयर दिशा-निर्देश (MFCG), 2024 (Model Foster Care Guidelines, 2024)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अपडेटेड **मॉडल फोस्टर केयर दिशा-निर्देश (MFCG), 2024** जारी किए।

[14] Child in Conflict with Law

[15] Child Care Institutions

दिशा-निर्देश के बारे में

- ये दिशा-निर्देश मॉडल फोस्टर केयर दिशा-निर्देश (MFCG), 2016 की अगली कड़ी हैं। नए दिशा-निर्देश **किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) (JJ) अधिनियम, 2015 तथा JJ मॉडल नियम, 2016; दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 और मिशन वात्सल्य योजना** के प्रावधानों पर आधारित हैं।
- **फोस्टर केयर** के तहत किसी बच्चे का उसके जैविक परिवार की बजाय किसी अन्य परिवार के घरेलू परिवेश में पालन-पोषण किया जाता है।
    - पालन-पोषण देखभाल (फोस्टर केयर) प्रदान करने वाले परिवारों को **बाल कल्याण समिति द्वारा चयनित और अनुमोदित** किया जाता है।

अपडेटेड मॉडल फोस्टर केयर दिशा-निर्देश (MFCG), 2024 के मुख्य दिशा-निर्देशों पर एक नज़र

- **फोस्टर केयर के लिए पात्र बच्चे:**
    - बाल देखभाल संस्थानों या समुदायों में रहने वाले 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे, जिनमें हार्ड-टू-प्लेस बच्चे भी शामिल हैं।
    - विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और अयोग्य अभिभावक वाले बच्चे।
- **फोस्टर केयर करने के लिए पात्रता:** ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित, और चाहे उनका अपन जैविक पुत्र या पुत्री हो या न हो। ज्ञातव्य है कि MFCG, 2016 में केवल विवाहित दम्पति ही पात्र थे।
    - **सिंगल महिला लड़के या लड़की, दोनों** में से किसी को भी गोद ले सकती है या उसकी फोस्टर केयर कर सकती है। इसके विपरीत, **सिंगल पुरुष केवल लड़के** को ही गोद ले सकता है या उसकी फोस्टर केयर कर सकता है।
    - दम्पति का **2 वर्ष का स्थिर वैवाहिक संबंध** होना चाहिए।
- **फोस्टर एडॉप्शन के तहत दत्तक ग्रहण:** फोस्टर केयर करने वाले माता-पिता जिस बच्चे की **पिछले दो साल से फोस्टर केयर कर** रहे हैं, वे उसी बच्चे को गोद भी ले सकते हैं। MFCG, 2016 में उसी बच्चे को गोद लेने के लिए फोस्टर केयर की अवधि **पांच साल** थी।

3. अन्य सुभेद्य समूह (Other Vulnerable Sections)

3.1. दिव्यांगजन (Persons With Disabilities: PWDs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016** के तहत **दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2024 अधिसूचित** किए गए।

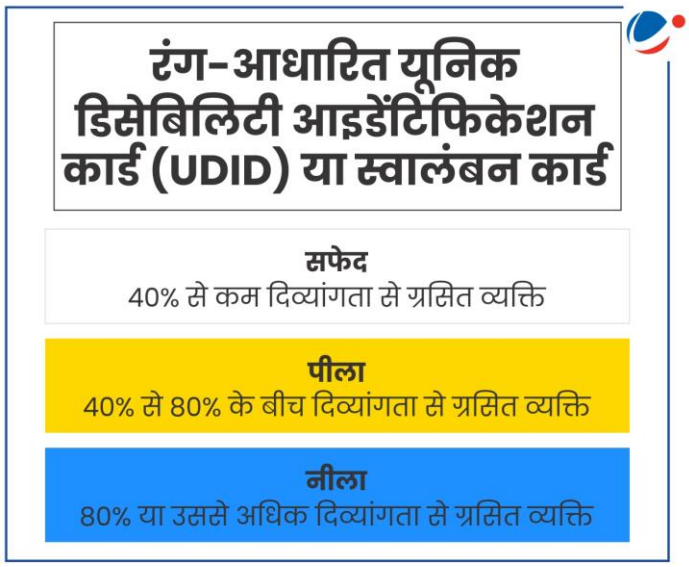

संशोधित नियम के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:** पहचान प्रमाण-पत्र, नवीनतम तस्वीर (छह माह से अधिक पुरानी नहीं), और आधार कार्ड।
  - **जारी करने वाला प्राधिकारी:** दिव्यांगता प्रमाण-पत्र केवल एक **चिकित्सा प्राधिकारी या जिला स्तर पर अधिसूचित सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी जारी कर** सकता है। इसे आवेदक के निवास प्रमाण-पत्र में उल्लिखित निवास वाले जिले के भीतर ही जारी किया जा सकता है।
- **दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु समय:** नए नियमों के तहत **यह अवधि एक माह से बढ़ाकर तीन** माह कर दी गई है।
- **आवेदन की समाप्ति हेतु एक नया खंड :** यदि किसी आवेदन पर 2 साल से अधिक समय से कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो उसे "रद्द" या "निष्क्रिय" कर दिया जाएगा।
  - ऐसी स्थिति में आवेदकों को फिर से आवेदन करना होगा या प्राधिकारी से संपर्क करना होगा।

PwDs के बारे में

- **दिव्यांगजन की परिभाषा:** दिव्यांगता किसी व्यक्ति की **दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदनशील कमजोरी** को दर्शाती है। इस कमजोरी के कारण दिव्यांगजनों को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो समाज में दूसरे व्यक्तियों के समान उनकी **पूर्ण और प्रभावी भागीदारी को बाधित** करती है **(RPwD Act, 2016)**।
- कुल आबादी में दिव्यांगजनों का हिस्सा **2.21%** है। **(जनगणना 2011)**
- **सभी PwD में से 69% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि सभी PwD में से 21% बुजुर्ग हैं।**

दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016

- **उद्देश्य:** इस अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि **सभी दिव्यांगजन गरिमा के साथ, बिना किसी भेदभाव के और समान अवसरों के साथ अपना जीवन व्यतीत करें।**
- इस अधिनियम को **दिव्यांगजन अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCRPD)**[16] को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। **भारत इस अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता देश है।**
- **प्रशासित: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा।**

RPwD अधिनियम के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र

- **दिव्यांगजनों को मान्यता:** दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में **21 प्रकार** की निःशक्तताओं या दिव्यांगताओं की पहचान की गई है। इनमें **एसिड हमले से पीड़ित, बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक बीमारी** आदि को भी शामिल किया गया है।

[16] United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities

- **दिव्यांगजनों के अधिकारों की सूची:**
  - यह सरकार की जिम्मेदारी है कि दिव्यांगजनों को **समानता, गरिमा और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार** प्राप्त हो।
  - उन्हें **उत्पीड़न, क्रूरता, अमानवीय व्यवहार, हिंसा, शोषण आदि से सुरक्षा** प्राप्त करने का अधिकार है।
  - **अन्य अधिकारों में निम्नलिखित शामिल हैं:** घर और परिवार का अधिकार, प्रजनन का अधिकार, मतदान का अधिकार, संपत्ति के स्वामित्व या विरासत का अधिकार आदि।
- **बेंचमार्क (संदर्भित) दिव्यांगजन:** इसका अर्थ उस व्यक्ति से है, जिसमें **कम-से-कम 40 प्रतिशत निर्दिष्ट दिव्यांगता है,** जैसा कि प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाता है। ऐसी दिव्यांगता विशिष्ट शब्दों (Measurable terms) में परिभाषित हो भी सकती है और नहीं भी।
  - **बेंचमार्क दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान: 6-18 वर्ष की आयु वर्ग** के लोगों के लिए निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है। साथ ही, **सरकारी अथवा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों** में कम-से-कम **5% आरक्षण** प्रदान किया गया है। **सरकारी नौकरियों में कम-से-कम 4% आरक्षण** प्रदान किया गया है।
  - सरकार **निजी क्षेत्रक के नियोक्ताओं** को यह सुनिश्चित करने के लिए **प्रोत्साहित करती है** कि उनके कार्यबल में कम-से-कम 5% दिव्यांग व्यक्ति शामिल हों।
- **गार्जियनशिप/ संरक्षकता (Guardianship):** यदि कोई दिव्यांग समर्थन प्राप्त होने के बावजूद भी स्वयं के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्णय नहीं ले सकता है।
  - **सीमित तौर पर गार्जियन की व्यवस्था (Limited guardianship) करने के लिए प्राधिकरण का गठन नहीं** किया गया है। यह संरक्षक और दिव्यांगजन के बीच आपसी समझ एवं विश्वास पर आधारित संयुक्त निर्णय लेने वाली व्यवस्था है। यह व्यवस्था **दिव्यांगजनों की इच्छा** का पालन करती है और **विशिष्ट अवधियों, निर्णयों और स्थितियों तक सीमित** होती है।
- **सामाजिक सुरक्षा:** यह अधिनियम सरकार को दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्यक्रम तैयार करने का आदेश देता है। इन कार्यक्रमों का लक्ष्य उन्हें स्वतंत्र रूप से या समुदाय में रहने में सक्षम बनाने के लिए **एक उचित जीवन स्तर** प्रदान करना होना चाहिए।

दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए उठाए गए कदम	
नीति और विधान	**योजनाएं**

• **निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006**
• **राष्ट्रीय कानून**
  ○ भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992
  ○ ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता एवं बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999
	• **निःशक्तजन अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन के लिए योजना (SIPDA)**
	• **सुगम्य भारत अभियान:** इस अभियान को **2015** में शुरू किया गया था।
	• सहायता/ सहायक उपकरणों की खरीद/ फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (ADIP)

○ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 ○ मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017	• दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना • दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (DDRS)

भारत निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय पहलों का भी हस्ताक्षरकर्ता है

- एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांगजनों के लिए "अधिकार को वास्तविक बनाने हेतु" **इंचियोन स्ट्रेटजी** को अपनाना।
- एशिया-प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांगजनों की "**पूर्ण भागीदारी और समानता पर घोषणा**" दिसंबर, 1992 में बीजिंग में अपनाई गई थी।
- **बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क:** यह फ्रेमवर्क एक **समावेशी, बाधा मुक्त और अधिकार-आधारित समाज** की दिशा में काम कर रहा है।

संबंधित सुर्खियां: दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UN-CRPD)

- UN-CRPD के पक्षकार देशों के सम्मेलन का 17वां सत्र **न्यूयॉर्क** में आयोजित हुआ। इस सत्र की थीम थी **"वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भविष्य के शिखर सम्मेलन से पहले दिव्यांगजनों के समावेशन पर पुनर्विचार[17]।"**

UN-CRPD के बारे में

- इसे **2006 में न्यूयॉर्क में अपनाया** गया था और यह **2008 में लागू** हुआ था।
- **उद्देश्य:** दिव्यांगजनों के लिए सभी मानवाधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के पूर्ण एवं समान उपयोग को बढ़ावा देना, उन्हें संरक्षित करना और सुनिश्चित करना। साथ ही, **दिव्यांगजनों की गरिमा का सम्मान करने को बढ़ावा** देना।
- दिव्यांगजनों में वे लोग शामिल हैं, जो **चिरकालिक** शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी दिव्यांगता से पीड़ित हैं।
- **पक्षकार:** इसके **भारत सहित 164** हस्ताक्षरकर्ता हैं।

3.2. धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (PM-JUGA) {Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan (PM-JUGA)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए **"धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान"** का शुभारंभ किया। इसे **प्रधान मंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PM-JUGA)** के रूप में भी जाना जाता है।

योजना की प्रमुख विशेषताएं

- इस योजना का नाम **बिरसा मुंडा (जिन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है)** के नाम पर रखा गया है। वे एक जनजातीय नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया था और **'उलगुलान आंदोलन'** का नेतृत्व किया था।
- **उद्देश्य:** इसमें **अलग-अलग योजनाओं** के एकीकरण और लोगों तक पहुँच द्वारा सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में **अंतराल को समाप्त** करने की परिकल्पना की गई है।
  - इसका उद्देश्य **PMJANMAN** (प्रधान मंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान) से प्राप्त सीख और सफलता के आधार पर जनजातीय क्षेत्रों एवं **समुदायों का समग्र और सतत विकास सुनिश्चित** करना है।
- **वित्त-पोषण:** केंद्रीय क्षेत्रक और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत जारी **अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना** (DAPST)[18] अनुदान से।
- **कार्यकाल: 5 वर्ष (2024-25 से 2028-29)**
- **कवरेज:** इसमें लगभग **63,000 गांवों** को शामिल किया जाएगा, जिससे **5 करोड़ से अधिक जनजातीय आबादी को लाभ** होगा।
- **मिशन के घटक:** इसमें **25 योजनाएं शामिल हैं, जिन्हें 17 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित** किया जाएगा।
  - इसके तहत अगले 5 वर्षों में **अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (DAPST)** के तहत मंत्रालयों को धन आवंटित किया जाएगा।
- **मैपिंग और निगरानी:** इस अभियान के तहत शामिल जनजातीय आबादी वाले गांवों का मानचित्रण किया जाएगा और **पी.एम. गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से उनकी निगरानी** की जाएगी।

[17] Rethinking disability inclusion in the current international juncture and ahead of the Summit of the Future

[18] Development Action Plan for Scheduled Tribes

मिशन के तहत लक्ष्य	
लक्ष्य-1: सक्षमकारी बुनियादी ढांचे का विकास करना (SDG 9)	• **पात्र परिवारों के लिए अन्य सुविधाओं के साथ-साथ पक्का घर:** ○ अनुसूचित जनजाति के परिवारों को प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पक्का आवास मिलेगा। इसमें **नल से जल (जल जीवन मिशन)** और बिजली आपूर्ति की उपलब्धता शामिल होगी। ○ अनुसूचित जनजाति के पात्र परिवारों को **आयुष्मान भारत कार्ड (पी.एम. जन आरोग्य योजना) तक** भी पहुंच होगी। • **गांव के बुनियादी ढांचे में सुधार को बढ़ावा:** ○ अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों में **हर मौसम में सड़क संपर्क** सुनिश्चित करना (प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना), ○ **मोबाइल कनेक्टिविटी** (भारत नेट) और इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करना, ○ **स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में सुधार के लिए बुनियादी ढांचा** (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, समग्र शिक्षा और पोषण)।
लक्ष्य-2: आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा (SDG 8)	• **कौशल विकास, उद्यमिता संवर्धन और उन्नत आजीविका (स्व-रोजगार):** ○ प्रशिक्षण तक पहुँच (कौशल भारत मिशन/ JSS) प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित लड़के/ लड़कियों को हर साल 10वीं/ 12वीं कक्षा के बाद दीर्घकालिक कौशल पाठ्यक्रमों तक पहुँच सुनिश्चित हो सके। ○ जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र (TMMC)[19] के माध्यम से **विपणन सहायता** देना, ○ **टूरिस्ट होम स्टे,** और ○ FRA (वन अधिकार अधिनियम) के तहत पट्टा धारकों के लिए कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित सहायता प्रदान की जाएगी।
लक्ष्य-3: अच्छी शिक्षा तक पहुंच का सार्वभौमीकरण (SDG 4)	• स्कूल और उच्चतर शिक्षा में **सकल नामांकन अनुपात (GER)** को बढ़ाकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाया जाना है। • जिला/ ब्लॉक स्तर पर स्कूलों में **जनजातीय छात्रावासों की स्थापना** करके जनजातीय छात्रों के लिए सस्ती और सुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना (समग्र शिक्षा अभियान)।
लक्ष्य-4: स्वस्थ जीवन और सम्मानजनक वृद्धावस्था (SDG 3)	• अनुसूचित जनजाति के परिवारों को **गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं तक बेहतर पहुंच** सुनिश्चित करना, • शिशु मृत्यु दर (IMR), मातृ मृत्यु दर (MMR) में **कमी कर** राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचना, • जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य उपकेंद्र 10 किलोमीटर (मैदानी क्षेत्रों) और 5 किलोमीटर (पहाड़ी क्षेत्रों) से अधिक दूर हैं, वहां **मोबाइल चिकित्सा यूनिट्स के माध्यम से टीकाकरण की सुविधा** दी जाएगी। (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन)।

प्रधान मंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PM-JUGA) के तहत शुरू की गई नई योजनाएं

- **ट्राइबल होम स्टे:** पर्यटन मंत्रालय द्वारा **स्वदेश दर्शन योजना के तहत** जनजातीय क्षेत्रों की **पर्यटन की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 1,000 होम स्टे** को बढ़ावा दिया जाएगा।
- **वन अधिकार धारकों (FRA) को स्थायी आजीविका:** इस मिशन का विशेष ध्यान **22 लाख FRA पट्टा धारकों पर** है और कई मंत्रालयों की अलग-अलग योजनाओं का एकीकृत लाभ उन्हें प्रदान किया जाएगा।

[19] Tribal Multipurpose Marketing Centre

- **सरकारी आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना:** इस अभियान का उद्देश्य पी.एम.-श्री विद्यालयों की तर्ज पर आश्रम विद्यालयों /छात्रावासों/ जनजातीय विद्यालयों/ सरकारी आवासीय विद्यालयों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है।
- **सिकल सेल रोग (SCD) के निदान के लिए उन्नत सुविधाएं स्थापित करना:** अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के साथ-साथ उन राज्यों के प्रमुख संस्थानों में सक्षमता केंद्र (CoC) स्थापित किए जाएंगे, जहां **सिकल सेल रोग** का ज्यादा प्रभाव है।
- **जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र (TMMC):** जनजातीय समुदाय के उत्पादकों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने और उपभोक्ताओं को जनजातीय उपज खरीदने में सुविधा प्रदान करने के लिए **100 TMMC स्थापित किए जाएंगे।**

3.3. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (Particularly Vulnerable Tribal Groups: PVTGs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जिला स्तरीय समिति ने ओडिशा के क्योंझर में रहने वाली जुआंग और मनकिडिया जनजातियों को पर्यावास अधिकार प्रदान किए। ये दोनों जनजातियां **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs)** के अंतर्गत शामिल हैं।

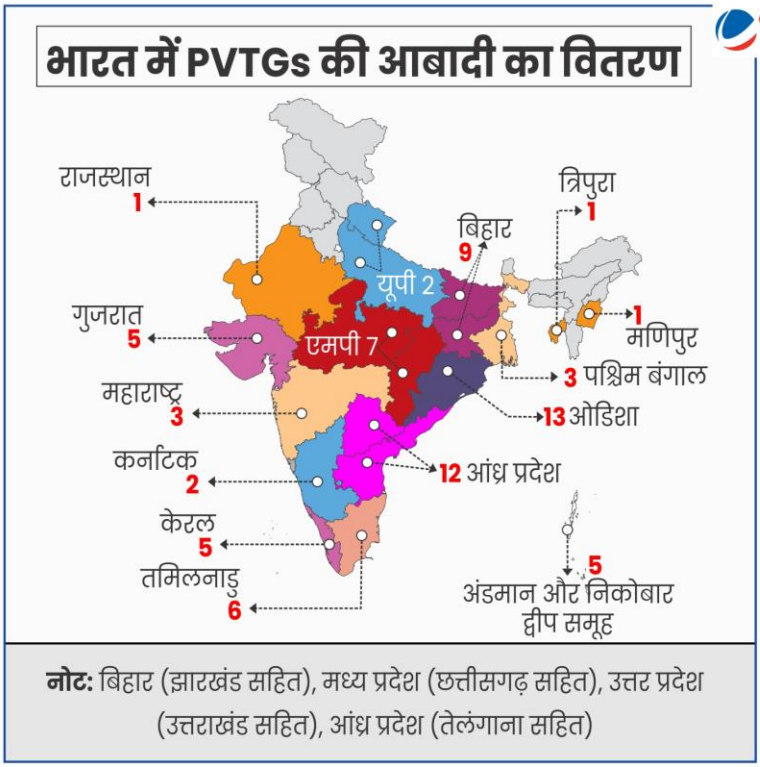

नोट: बिहार (झारखंड सहित), मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित), उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड सहित), आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित)

पर्यावास अधिकार के बारे में

- पर्यावास का अधिकार **अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006** की धारा 3(1) (e) तहत उपबंधित किया गया है। इस कानून को **वन अधिकार अधिनियम (FRA)** के रूप में भी जाना जाता है।
- वन अधिकार अधिनियम के तहत **'पर्यावास' को 'आदिम जनजातीय समूहों और पूर्व-कृषि समुदायों तथा अन्य वनवासी अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित तथा संरक्षित वनों में प्रथागत पर्यावास एवं ऐसे अन्य पर्यावासों वाले क्षेत्र'** के रूप में परिभाषित किया गया है।
- पर्यावास अधिकार **संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श** के बाद दिए जाते हैं।
- **पर्यावास अधिकार वाली जनजातियां:**
  - **ओडिशा (7):** देवगढ़ की **पौड़ी भुइयां,** गजपति के **सौरा आदिवासी,** क्योंझर और जाजपुर जिलों में **जुआंग, नुआपाड़ा चुक्तिया भुंजिया** तथा मयूरभंज की **हिल खड़िया, डोंगरिया कोंध एवं मनकिडिया** जनजाति
  - **मध्य प्रदेश:** भारिया जनजाति
  - **छत्तीसगढ़:** कमार और बैगा
  - **महाराष्ट्र:** माड़िया गोंड

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) के बारे में

- सरकार ने **ढेबर आयोग (1960-61)** की सिफारिशों के आधार पर **18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 PVTGs** को मान्यता प्रदान की है।
  - **ओडिशा में 13 PVTGs** हैं, जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक है
- **PVTGs की पहचान के निम्नलिखित मानदंड हैं:**
  - वन-आधारित आजीविका
  - कृषि-पूर्व (Pre-agricultural) युग का प्रौद्योगिकी स्तर;
  - घटती हुई या स्थिर आबादी
  - साक्षरता का निम्न स्तर; तथा
  - आर्थिक पिछड़ापन।

- **'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) का विकास' योजना**
  - **उद्देश्य:** PVTGs की संस्कृति और विरासत को संरक्षित रखते हुए उनका व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास करना।
  - इस **केंद्र प्रायोजित योजना** के तहत **100% वित्त पोषण** (अनुदान-सहायता और पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण) के रूप में केंद्रीय सहायता दी जाती है।
  - योजना के तहत शिक्षा, आवास, कृषि विकास और सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के माध्यम से अवसंरचना को मजबूत करने, बिजली आपूर्ति के उद्देश्य से ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों की स्थापना करने तथा सामाजिक सुरक्षा जैसी गतिविधियों के लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  - **संरक्षण सह विकास (CCD) योजनाओं** के निर्माण के माध्यम से सूक्ष्म स्तरीय योजना अप्रोच अपनाई गई है।
- **अलग-अलग राज्यों में PVTG जनसंख्या की रैंकिंग (2001 की जनगणना):** छत्तीसगढ़ + मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड (शीर्ष 3)।

3.3.1. विमुक्त जनजातियां (Denotified Tribes: DNTs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने **सुकन्या संथा बनाम भारत संघ और अन्य मामले** में कई राज्यों के **जेल मैनुअल्स के प्रावधानों को खारिज** कर दिया है। इन मैनुअल्स में यह प्रावधान किया गया है कि **जेलों में जाति के आधार पर काम** आवंटित किया जाएगा।

निर्णय से जुड़े मुख्य तथ्य

- मामले में उजागर किए गए प्रमुख मुद्दों में **बैरकों के पृथक्करण व शारीरिक श्रम के विभाजन जैसे जाति-आधारित भेदभाव** शामिल हैं, जो लगातार जारी हैं। साथ ही, **विमुक्त जनजातियों (DNTs) एवं "आदतन अपराधी वर्ग"** से संबंधित कैदियों के साथ भेदभाव करने वाले प्रावधान भी बड़ी चिंता के विषय हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में **जाति-आधारित भेदभाव को असंवैधानिक** करार दिया है। कोर्ट के अनुसार यह व्यवस्था संविधान के **अनुच्छेद 14, 15, 17, 21 और 23 का उल्लंघन** करती है।

घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों[20] के बारे में

- सभी **घुमंतू जनजातियां, गैर-अधिसूचित जनजातियां (DNTs) नहीं हैं,** लेकिन **सभी DNTs, घुमंतू जनजातियां (NTs)** हैं।
- घुमंतू और अर्ध-घुमंतू **ऐसे सामाजिक समूह हैं,** जो अपनी आजीविका के लिए **आमतौर पर बदलते मौसम के अनुरूप एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करते रहते हैं।**
- **तीन प्रकार के घुमंतू समुदाय हैं:**
  - पक्षियों और जानवरों के **शिकारी/ ट्रैपर,** आखेटक आदि, जैसे- कोंडा रेड्डी, चेंचस आदि।
  - **देहाती समुदाय,** जैसे- पारदी, गुज्जर, बंजारा, भील, कुरबा, मधुरा, आदि।
  - **फेरीवाले (Peddlers),** भाग्य बताने वाले, कहानीकार, कलाबाज, नर्तक और नाटककारों के घुमंतू समूह।

विमुक्त जनजातियों (DNTs) और 'आदतन अपराधियों' के बारे में

- ये देश में सर्वाधिक कमजोर और वंचित समुदाय हैं। इन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान **'आपराधिक जनजाति अधिनियम[21], 1871'** के तहत **"जन्मजात अपराधी"** घोषित किया गया था।
  - ये जनजातियां विषम समूह के रूप में हैं और ये **अलग-अलग व्यवसायों में संलग्न हैं।** इन व्यवसायों में परिवहन, चाबी बनाना, नमक का व्यापार, मनोरंजन (कलाबाजी, सपेरा, जादूगर) और पशु चराना आदि शामिल हैं।
- **आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871** को **1949 में निरस्त** कर दिया गया और तत्पश्चात **1952** में 'आपराधिक जनजातियों' को **डिनोटिफाई** कर दिया गया।
  - कई गैर-अधिसूचित जनजातियों को ST, SC और OBC की सूचियों में शामिल किया गया है।
- **रेनके आयोग, 2008** के अनुसार, भारत में लगभग **1,500 घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू जनजातियां** तथा **198 गैर-अधिसूचित जनजातियां** हैं। इनकी कुल जनसंख्या **लगभग 15 करोड़** है।
- भारत में गैर-अधिसूचित जनजाति समुदायों द्वारा **31 अगस्त की तिथि को 'विमुक्त जाति दिवस'** के रूप में मनाया जाता है।

[20] Nomadic and Semi-Nomadic Tribes

[21] Criminal Tribes Act

- **'आदतन अपराधियों'** (Habitual Offenders) को संबंधित राज्यों के **आदतन अपराधी अधिनियमों** के तहत परिभाषित किया गया है। इनमें ऐसे व्यक्तियों को वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें कई अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और जिन्हें समाज के लिए खतरा माना जाता है।
    - **इदाते आयोग (2017)** ने संबंधित राज्यों द्वारा आदतन अपराधी अधिनियम को तुरंत निरस्त करने की सिफारिश की है, क्योंकि यह DNTs समुदाय के सदस्यों के उत्पीड़न की एक वजह है।

DNTs के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **गैर-अधिसूचित (विमुक्त), घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCDNT):** भारत सरकार ने DNTs की राज्यवार सूची तैयार करने के लिए इसका गठन किया था।
- **DNTs के छात्र-छात्राओं के लिए डॉ. अम्बेडकर मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्ति:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है। इसका उद्देश्य उन गैर-अधिसूचित जनजातियों का **शैक्षिक सशक्तीकरण** करना है, जो SC/ ST/ OBC श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आती हैं।
- **DNTs के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु नानाजी देशमुख योजना:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के माध्यम से संचालित किया जाएगा।
- **DNT समुदायों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए योजना (SEED):** इस योजना को **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा** शुरू किया गया था। इसके उद्देश्य हैं- गैर-अधिसूचित जनजातियों के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना, परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, आदि।
- 2019 में **गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड का गठन किया गया।**

4. शिक्षा (Education)

4.1. अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (Early Childhood Care and Education: ECCE)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) ने **3 से 6 साल** के बच्चों के **'अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन' (ECCE) के लिए 'आधारशिला'** शीर्षक से एक **नेशनल करिकुलम (2024)** जारी किया है।

आधारशिला के बारे में

- **आधारशिला (फ़ाउंडेशन स्टोन) 48 सप्ताह का एक विस्तृत पाठ्यक्रम** है। इसके तहत **आंगनवाड़ी केंद्रों पर तीन से छह साल के आयु वर्ग के बच्चों के लिए लर्निंग** की व्यवस्था की गई है।
- **पाठ्यक्रम में साप्ताहिक आधारित खेल कैलेंडर शामिल है:**
  - शुरुआत के चार सप्ताह में शैक्षणिक गतिविधियां शामिल हैं। इससे बच्चों को खेल संबंधी गतिविधियों में शामिल करके घर से आंगनवाड़ी केंद्र तक लाने में मदद मिलेगी।
  - अगले 36 सप्ताह **अन्वेषण, खेल, बातचीत, रचना व प्रशंसा, चिंतन** आदि में बिताए जाते हैं। इनमें **कहानी सुनाना, कविताएं पढ़ना, कला और शिल्प** आदि सहित विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं। कहानी कहने के विषय **संघर्ष समाधान, जिम्मेदारी लेने, दूसरों के साथ काम करने और उनकी मदद करने** पर केंद्रित होंगे।
  - **अंतिम आठ सप्ताह में वर्कशीट और बच्चों के प्रदर्शन के अवलोकन के साथ पिछले सप्ताह की सीख को दोहराया और सुदृढ़ किया जाएगा।**
- यह **राज्यों के लिए अपने स्वयं की संस्कृति के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए एक आधार** के रूप में काम करेगा। साथ ही, यह बच्चों की स्कूली शिक्षा के बाद की चुनौतियों से निपटने के लिए एक समाधान के रूप में भी कार्य करेगा।

आधारशिला के मुख्य बिन्दुओं पर एक नज़र

- **ECCE पंचकोश की अवधारणा पर आधारित है:**
  - **शारीरिक विकास**,
  - **प्राणिक विकास**,
  - **मानसिक विकास**,
  - **बौद्धिक विकास**, और
  - **चैतसिक विकास**।
- **प्रारंभिक वर्षों में भाषा और पढ़ना-लिखना सीखना:** बच्चों में पढ़ने लिखने से जुड़े उभरते कौशल, जैसे- प्रिंट अवेयरनेस (चित्र के विभिन्न हिस्सों को जोड़ना), ड्राइंग, स्क्रिबलिंग आदि को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- **लर्निंग का सकारात्मक माहौल (दैनिक कार्य और आत्म-नियंत्रण संबंधी कौशल):** इसके तहत बच्चों में दिनचर्या का पालन करने, उनको सकारात्मक माहौल प्रदान करने, बच्चों में नेतृत्व के कौशल को बढ़ावा देने और निष्पक्ष रूप से विकल्प चुनने के लिए सक्षम बनाने पर ध्यान देना चाहिए।
- **खेल-खेल में सीखना:** खेलों के जरिए प्राप्त ज्ञान या सीख बच्चों के मस्तिष्क पर एक स्थायी छाप छोड़ती है। कुछ खेल-आधारित गतिविधियां हैं- पहेलियां, रोल प्ले करना, किताबें पढ़ना, कहानियां बनाना, भाषा और गणित से जुड़े खेल, गाइडेड वाक।
- **अन्य**
  - आंगनवाड़ी केंद्रों में **सीखने या लर्निंग की विविधतापूर्ण पद्धतियों को अपनाना** आंगनवाड़ी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है।
  - **कम आयु से ही लैंगिक समानता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है,** क्योंकि लैंगिक भेदभाव की शुरुआत और उसे आत्मसात करने की प्रक्रिया बच्चों में कम आयु से ही शुरू हो जाती है। यह बच्चों की आत्म-अवधारणा, आकांक्षाओं और व्यवहार को प्रभावित करता है।
  - **दिव्यांगों का समावेशन:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2023 में दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल (Anganwadi Protocol for Divyang Children) जारी किया था। इसमें दिव्यांग बच्चों की स्क्रीनिंग, इन्क्लूशन और रेफरल की सुविधा प्रदान की गई है।

अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ECCE) के बारे में

- भारतीय संदर्भ में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ECCE) को आम तौर पर जन्म से लेकर आठ वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा के रूप में परिभाषित किया जाता है। **मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की आयु से पहले होता है।**
- **भारत में ECCE के लिए वैधानिक और नीतिगत फ्रेमवर्क**
  - **अनुच्छेद 45:** राज्य सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करेगा।
  - **निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009:** इसमें प्रावधान किया गया है कि समुचित प्राधिकरण प्री-स्कूल शिक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकता है।
  - भारत सरकार ने **2013 में नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ECCE) नीति** को अपनाया था।
  - **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020:** इसमें प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचे के तहत 0-3 साल के बच्चों के लिए एक सब-फ्रेमवर्क की सिफारिश की गई है।
  - **नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज (NCF-FS) 2022:** NCF-FS के संस्थागत दिशा-निर्देश विशेष रूप से **3-6 साल और 0-3 साल के आयु समूह के बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले ECCE** को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए हैं।

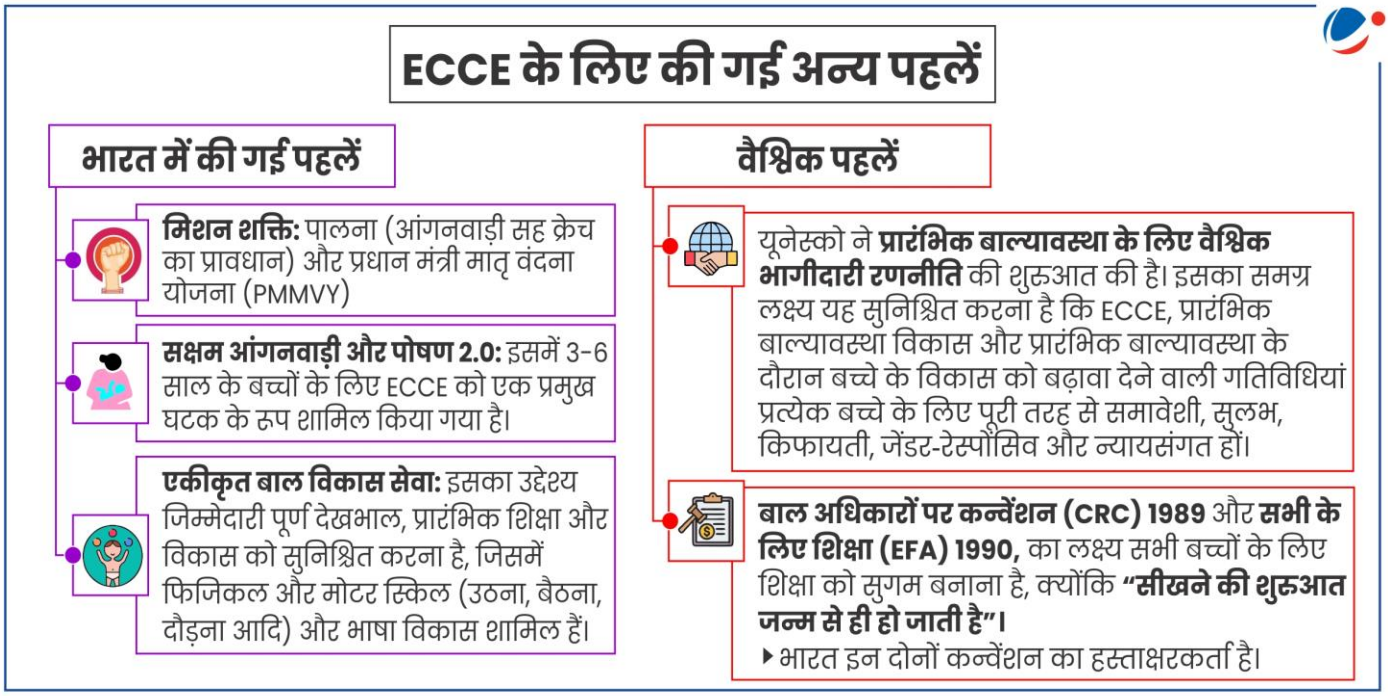

4.1.1. नवचेतना- नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टीमुलेशन (ECS) {Navchetana - National Framework for Early Childhood Stimulation (ECS)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

जन्म से तीन वर्ष तक के बच्चों के लिए MoWCD ने 'नवचेतना- नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टीमुलेशन (ECS)' फ्रेमवर्क जारी किया।

ECS फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताएं

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **बच्चों का सर्वोत्तम विकास सुनिश्चित** करना है। इसके तहत समग्र प्रारंभिक अनुकरण हेतु उत्तरदायी देखभाल और आरंभिक शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए देखभाल करने वालों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाया जाएगा।
- यह फ्रेमवर्क **पोषण देखभाल फ्रेमवर्क के पांच घटकों में से दो पर** बल देता है: **(1) उत्तरदायी देखभाल और (2) प्रारंभिक लर्निंग के लिए अवसर पैदा करना।**

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने **2018** में प्रारंभिक बाल्यावस्था के विकास के लिए **"पोषण देखभाल फ्रेमवर्क"** प्रदान किया था।

- बच्चे के **संज्ञानात्मक, सामाजिक-भावनात्मक, भाषाई, शारीरिक और रचनात्मक विकास** के समग्र अनुकरण के लिए 0-36 महीने तक के बच्चों हेतु **गतिविधियों के 36 सेट** शामिल हैं।

अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन (ECS) के बारे में

- **स्टिमुलेशन के लिए फ्रेमवर्क (0-3 years)** इसका उद्देश्य जन्म से लेकर बच्चे के विकास के पहले तीन वर्षों तक देखभाल और स्टिमुलेशन को समझने एवं लागू करने में मौजूद वैचारिक तथा व्यावहारिक अंतराल को भरना है।
- यह फ्रेमवर्क घर के अंदर और साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों या क्रेच में गतिविधियों का मार्गदर्शन करता है।
- इसमें **दिव्यांग बच्चों को भी शामिल करने के लिए** एक **स्क्रीनिंग टूल (आयु आधारित)** शामिल किया गया है।

4.2. भारत में उच्चतर शिक्षा (Higher Education in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने "उच्चतर शिक्षा में रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (RPL) के लिए दिशा-निर्देश" का मसौदा जारी किया।

रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (RPL) के बारे में

- यह किसी व्यक्ति के मौजूदा **ज्ञान व कौशल तथा औपचारिक, अनौपचारिक या गैर-औपचारिक लर्निंग** के माध्यम से प्राप्त अनुभव का मूल्यांकन करने वाली औपचारिक व्यवस्था है।
- **उद्देश्य:** यह मूल्यांकन एवं सर्टिफिकेशन के जरिए अनौपचारिक और गैर-औपचारिक शिक्षा को औपचारिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ती है।

भारत में उच्चतर शिक्षा की स्थिति:

- 18-23 वर्ष आयु वर्ग के लिए **उच्चतर शिक्षा में GER 2014-15 में 23.7 % था, जो 2021-22 में बढ़कर 28.4% हो गया।**
- **महिला GER** 2014-15 में 22.9 था, जो 2**021-22 में बढ़कर 28.5** हो गया।

उच्चतर शिक्षा के लिए NEP की मुख्य विशेषताएं

- **स्नातक की डिग्री 3 या 4 साल की अवधि** की होगी। इसमें इस अवधि के भीतर **यथोचित प्रमाण-पत्रों के साथ निकास के कई विकल्प उपलब्ध** होंगे।
  - पहले वर्ष की समाप्ति के बाद **सर्टिफिकेट**, दूसरे वर्ष के बाद **डिप्लोमा**, तीसरे वर्ष के बाद **स्नातक की डिग्री** तथा चौथे वर्ष की समाप्ति के बाद **स्नातक की डिग्री के साथ-साथ ऑनर्स डिग्री** प्रदान की जाएगी।
  - विभिन्न संस्थानों से अर्जित ऐकडेमिक क्रेडिट को **ऐकडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC)** में डिजिटल रूप से संग्रहीत किया जाएगा।
- संस्थागत सहयोग के जरिए **शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण** किया जा रहा है। साथ ही, विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस स्थापित करने की अनुमति दी गई है।
- **संगठनात्मक फ्रेमवर्क:**
  - **नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF)** पूरे देश में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाने एवं प्रसारित करने का कार्य करेगा।
  - **राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम (NETF)**[22] की स्थापना की जाएगी। यह एक **ऐसे मंच के रूप में कार्य करेगा** जहां प्रौद्योगिकी के उपयोग पर **विचारों का स्वतंत्र आदान-प्रदान** किया जाएगा। इससे **स्कूलों और उच्चतर शिक्षा दोनों के लिए** शिक्षण, मूल्यांकन और प्रशासन को बेहतर बनाया जा सकेगा।

[22] National Educational Technology Forum

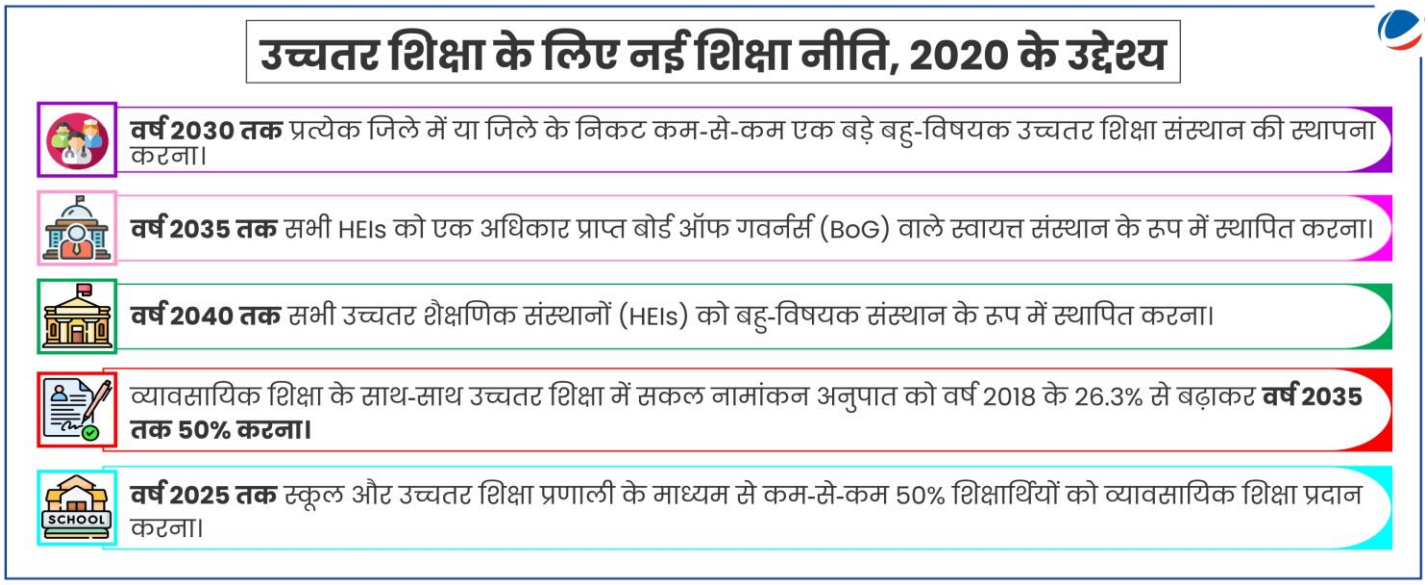

4.2.1. अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (Anusandhan National Research Foundation: ANRF)

प्रधान मंत्री ने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) के शासी बोर्ड की **पहली बैठक की अध्यक्षता की।**

इस बैठक में की गई मुख्य घोषणाओं पर एक नज़र:

- **पार्टनरशिप फॉर एक्सीलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च (PAIR):** इसके तहत **अनुसंधान के मामले में प्रारंभिक अवस्था वाले विश्वविद्यालयों को शीर्ष स्तरीय स्थापित संस्थानों के साथ जोड़ा** जाएगा। यह **हब एंड स्पोक मॉडल** पर आधारित होगा।
- **मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज (MAHA):** इसके तहत निम्नलिखित प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों में **प्राथमिकता-संचालित और समाधान-केंद्रित अनुसंधान का समर्थन किया जाएगा:**
  - इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी,
  - एडवांस्ड मटेरियल और सोलर सेल,
  - स्वास्थ्य एवं चिकित्सा प्रौद्योगिकी, आदि।
- **ANRF उत्कृष्टता केंद्र (ACE):** इसे पर्याप्त वित्तीय सहायता के साथ **विश्व स्तरीय अनुसंधान केंद्र** के रूप में स्थापित किया जाएगा।

अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसे **ANRF अधिनियम, 2023** के तहत स्थापित किया गया है। इसमें पूर्ववर्ती **विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड का विलय** कर दिया गया है।
- **उद्देश्य:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) की सिफारिशों के अनुसार पूरे देश में **अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति का समर्थन व विकास करना एवं प्रोत्साहन प्रदान करना।**
  - ANRF भारत को **ज्ञान-संचालित समाज** बनाने का प्रयास कर रहा है।
- **वित्त-पोषण: 2023-2028 की अवधि के लिए 50,000 करोड़ रुपये** जुटाए जाएंगे। इनमें केंद्र से 14,000 करोड़ रुपये और निजी स्रोतों से 36,000 करोड़ रुपये प्राप्त किए जाएंगे।
- **गवर्नेंस**
  - **प्रशासनिक विभाग:** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST)।
  - **गवर्निंग/ शासी बोर्ड**
    - **पदेन अध्यक्ष:** प्रधान मंत्री; तथा
    - **पदेन उपाध्यक्ष:** केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा शिक्षा मंत्री।
  - **कार्यकारी परिषद:** इसका अध्यक्ष **भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार** होता है।

4.2.2. नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) 2024 {National Institutional Ranking Framework (NIRF) 2024}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने **इंडिया रैंकिंग्स 2024 (9वां संस्करण)** जारी किया है। यह **नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF)** को लागू करता है।

NIRF के बारे में

- इसे **2015** में लॉन्च किया गया था।
- **उत्पत्ति:** यह देश भर के **शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग** के लिए एक पद्धति का फ्रेमवर्क तैयार करता है।
- **रैंकिंग के पांच पैरामीटर हैं:** शिक्षण; लर्निंग और संसाधन; अनुसंधान एवं पेशेवर अभ्यास; स्नातक आउटकम; आउटरीच व इन्क्लूसिविटी, तथा परसेप्शन।
  - **NIRF फ्रेमवर्क** का उपयोग करते हुए इंडिया रैंकिंग में **"नवाचार" (इनोवेशन)** रैंकिंग का एकीकरण किया गया है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** INFLIBNET केंद्र (गांधीनगर) के सहयोग से **राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA)।**
  - **राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA)** शैक्षणिक संस्थान द्वारा इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, फार्मेसी, वास्तुकला और संबंधित विषयों में डिप्लोमा स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक के कार्यक्रमों की गुणात्मक क्षमता का आकलन करता है।
- **वर्ष 2024 की रैंकिंग**
  - **रैंकिंग के लिए नई अतिरिक्त श्रेणियां:** मुक्त विश्वविद्यालय, राज्य सरकारी विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय।
  - **IIT-मद्रास छठी बार (2019 से)** देश का **सर्वश्रेष्ठ** शिक्षा संस्थान घोषित किया गया है।
  - **IISC** बैंगलोर ने लगातार 9वीं बार विश्वविद्यालय श्रेणी में **शीर्ष रैंक** प्राप्त किया है।

अन्य वैश्विक रैंकिंग

वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2025

- यह **टाइम्स हायर एजुकेशन** (THE) द्वारा प्रकाशित की गई है। वर्ष 2025 की **रैंकिंग में 115 देशों और क्षेत्रों के 2,092 रैंक वाले विश्वविद्यालय** शामिल हैं।
- इसमें विश्वविद्यालयों को **पांच प्रमुख क्षेत्रों और उनसे संबंधित 18 संकेतकों के आधार पर रैंकिंग** प्रदान की जाती है। ये पांच प्रमुख क्षेत्र हैं: **शिक्षण, शोध परिवेश, शोध गुणवत्ता, उद्योग से संपर्क और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण।**
- **भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु** शीर्ष रैंक वाला भारतीय विश्वविद्यालय है। हालांकि, उसकी वैश्विक रैंकिंग **251-300** के बीच है।
- **4** भारतीय विश्वविद्यालयों को **401-500** रैंक में रखा गया है।

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स (WUR), 2025

- इसे **क्वाक्वेरेली साइमंड्स (QS)** द्वारा जारी किया जाता है।
- यह रैंकिंग निम्नलिखित **9 प्रदर्शन संकेतकों** पर आधारित है
- **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (IIT-B) 118वें स्थान** पर है।

यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट प्रभाव रैंकिंग 2024

- **THE द्वारा प्रकाशित,** यह रैंकिंग उन विश्वविद्यालयों की पहचान करती है, जो **संयुक्त राष्ट्र के विविध सतत विकास लक्ष्यों (SDG) में उत्कृष्टता** प्राप्त करते हैं।
- **शीर्ष रैंक वाला भारतीय विश्वविद्यालय: अमृता विश्व विद्यापीठम (रैंक: 81वीं)।**
- **समग्र तालिका में सर्वाधिक संस्थान भारत के हैं। इसमें भारत के 96 संस्थान शामिल हैं।**

4.3 विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में कैंपस (Foreign University Campus in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने **यूनाइटेड किंगडम** के **साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय** को भारत के **गुरुग्राम** में अपना कैंपस स्थापित करने के लिए आशय पत्र (LoI)[23] जारी किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह **UGC {भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (FHEIs) के परिसरों की स्थापना और संचालन} विनियमन[24], 2023** के तहत भारत में परिसर स्थापित करने वाला पहला अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय होगा।

[23] Letter of Intent

[24] UGC (Setting up and Operation of Campuses of Foreign Higher Educational Institutions (FHEIs) in India

UGC {भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (FHEIs) के परिसरों की स्थापना और संचालन} विनियमन 2023 के बारे में

- **उद्देश्य:** उच्चतर शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय मानकता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विज़न के अनुरूप **उच्च रैंक वाले विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में प्रवेश को सुगम बनाना।**
- **विदेशी विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने के लिए मानदंड:** FEHI को समग्र रूप से या संबंधित विषय क्षेत्रों में **विश्व के शीर्ष 500 रैंक में शामिल** होना चाहिए या **किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्ट विशेषज्ञता** होनी चाहिए।
    - **दो या दो से अधिक FHEI भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए सहयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि प्रत्येक विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थान अपने स्तर से पात्रता मानदंडों** को पूरा करता हो।
    - **मंजूरी: UGC शुरू में सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करेगा और आवेदक FHEI को आशय पत्र जारी** करेगा। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे **आशय पत्र जारी होने की तिथि से 2 वर्ष के भीतर भारत में कैंपस स्थापित करेंगे।**
    - **फैकल्टी एवं स्टाफ संरचना:** फैकल्टी एवं स्टाफ की नियुक्ति के लिए योग्यता, वेतन संरचना और सेवा की अन्य शर्तें तय करने की स्वायत्तता।
    - **डिग्री/ योग्यता प्रदान करना:** भारत में FHEI के कैंपस में प्रदान की जाने वाली योग्यताएं संस्था के मूल देश के FHEI के नाम और मुहर के तहत प्रदान की जाएंगी।
    - FHEI के मुख्य कैंपस से भारत में स्थित FHEI कैंपस में या फिर भारत में स्थित FHEI कैंपस से FHEI के मुख्य कैंपस में; तथा एक भारतीय संस्थान और FHEI कैंपस के बीच छात्रों के प्रवेश एवं क्रेडिट हस्तांतरण की अनुमति है।

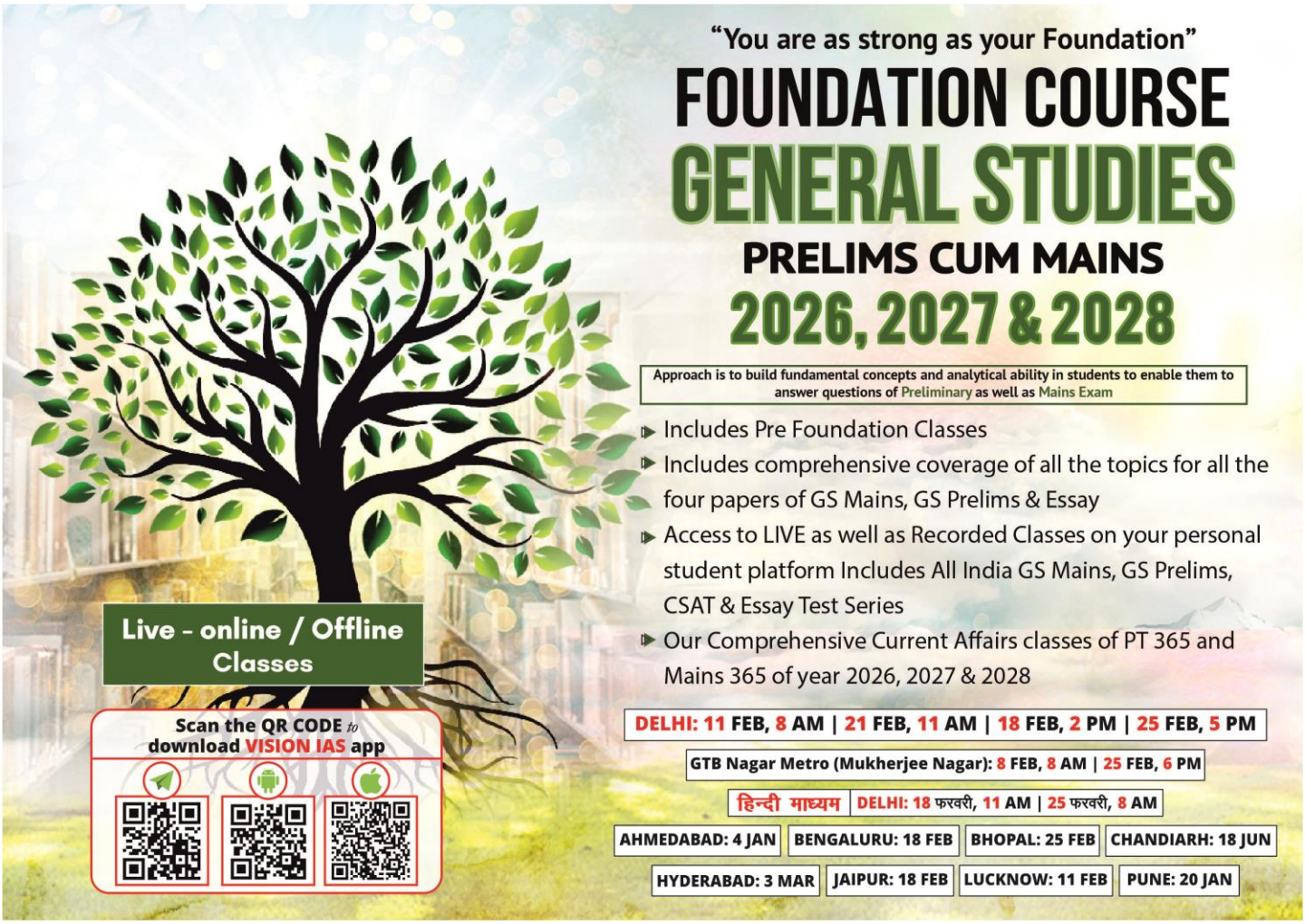

5. स्वास्थ्य (Health)

5.1. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 रिपोर्ट {National Family Health Survey-5 (NFHS) Report}

अखिल भारतीय स्तर पर सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्षों पर एक नज़र

संकेतक	NFHS-5 (2019-21)	NFHS-4 (2015-16)
कुल प्रजनन दर (TFR) (प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या) › प्रति महिला लगभग 2.1 बच्चों के TFR को प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता कहा जाता है। इसे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण में रखने के लिए आवश्यक माना जाता है।	↓ 2.0	2.2
गर्भनिरोधक प्रसार दर (Contraceptive Prevalence Rate: CPR)	↑ 67%	54%
गर्भ के प्रथम तीन महीनों में गर्भवती महिलाओं द्वारा **प्रसवपूर्व देखभाल (ANC) केंद्रों पर जाना**	↑ 70%	58.6%
परिवार नियोजन की जरूरतें जो पूरी नहीं हुई	↓ 9%	12.9%
12-23 महीने के बच्चों में पूर्ण टीकाकरण	↑ 76.4%	62%
कुल जनसंख्या में लिंगानुपात (प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाएं) › यह पहली बार है, जब किसी भी NFHS या जनगणना में लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में झुका हुआ है।	↑ 1020	991
नवजात मृत्यु दर › प्रति 1,000 जीवित जन्मों में व्यक्त जीवन के पहले 28 दिनों के दौरान सभी जीवित जन्मों में मृत्यु की संख्या।	↓ 24.9	29.5
शिशु मृत्यु दर (प्रति 1,000 जीवित जन्म) › यह जीवन के पहले 28 दिनों के दौरान सभी जीवित जन्मों में शिशुओं की मृत्यु की संख्या है। इसे प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त किया जाता है।	↓ 35.2	40.7
पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (प्रति 1,000 जीवित जन्म) › यह किसी विशिष्ट वर्ष या अवधि में जन्म लिए बच्चे की पांच वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मृत्यु की संभावना है।	↓ 41.9	49.7
15-49 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया	↑ 57%	53.1%
6-59 माह की आयु के बच्चों में एनीमिया	↑ 67.1%	58.6%
20-24 वर्ष की आयु की ऐसी महिलाएं, जिनका विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हुआ (%)	↓ 23.3%	26.8%
25-29 वर्ष की आयु के ऐसे पुरुष जिनका विवाह 21 वर्ष की आयु से पहले हुआ (%)	↓ 17.7%	20.3%
संस्थागत प्रसव	↑ 88.6%	78.9%
5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, जो ठिगनेपन (Stunted) से पीड़ित हैं (आयु के अनुरूप लम्बाई कम होना)	↓ 35.5%	38.4%
5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो दुबलेपन (Wasted) से पीड़ित हैं (ऊंचाई के अनुरूप वजन कम होना)	↓ 19.3%	21%
5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिनका वजन कम (Underwight) है (आयु के अनुरूप वजन कम होना)	↓ 32.1%	35.8%

5.2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान {National Health Accounts (NHA) Estimates}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने **वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) अनुमान** जारी किए।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) अनुमानों के बारे में

- **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा 2013-14 से हर साल** राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) अनुमान जारी किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि भारत में **NHA का विचार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002** में प्रस्तुत किया गया था।
- NHA अनुमान **राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय (NHATS)[25] ने भारत के लिए NHA संचालन समिति और NHA विशेषज्ञ समूह** के निरंतर मार्गदर्शन तथा सहयोग से तैयार किए हैं।
- NHA **भारत की स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर वित्तीय प्रवाह का विस्तृत विवरण** प्रस्तुत करता है। इसमें बताया गया है कि:
  - विविध स्रोतों से धन कैसे एकत्र किया जाता है;
  - उन्हें स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कैसे खर्च किया जाता है; और
  - स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग कैसे किया जाता है।
- NHA अनुमान **भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा दिशा-निर्देश, 2016 के फ्रेमवर्क के भीतर तैयार** किए गए हैं। ये अनुमान **स्वास्थ्य लेखा प्रणाली, 2011** का उपयोग करके तैयार किए गए हैं।

स्वास्थ्य लेखा प्रणाली (SHA)[26], 2011 के बारे में

- यह स्वास्थ्य लेखा को तैयार करने के लिए एक **वैश्विक मानक फ्रेमवर्क** है। यह प्रणाली **अलग-अलग देशों के स्वास्थ्य व्यय अनुमानों की तुलना करने में सहायता प्रदान** करती है।
- यह प्रणाली स्वास्थ्य व्यय को **तीन आयामों, जैसे- उपभोग, प्रावधान और वित्त-पोषण के अनुसार वर्गीकृत करने के लिए एक मानक** प्रदान करती है।
- यह **आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD), विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और यूरोस्टेट** के बीच संयुक्त सहयोग का परिणाम है।

भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) अनुमानों के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

स्वास्थ्य संकेतक	(2017-18 के बाद से) 2021-22 में प्रवृत्ति
सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और प्रति व्यक्ति आय के प्रतिशत के रूप में कुल स्वास्थ्य व्यय (THE) • कुल स्वास्थ्य व्यय में बाहरी निधियों सहित **सरकारी और निजी स्रोतों** द्वारा किए गए **वर्तमान और पूंजीगत व्यय** शामिल हैं।	• **सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत** के रूप में कुल स्वास्थ्य व्यय (THE) 3.31% से बढ़कर 3.83% हो गया। • **प्रति व्यक्ति** कुल स्वास्थ्य व्यय (THE) 4,297 रुपये से **बढ़कर** 6,602 रुपये हो गया।
कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में सरकारी स्वास्थ्य व्यय (GHE) • GHE में अर्ध-सरकारी संगठनों और सरकारी संगठनों के माध्यम से दिए जाने वाले दान सहित संघ, राज्य और स्थानीय **सरकारों द्वारा वित्त-पोषित व प्रबंधित सभी योजनाओं के तहत व्यय** शामिल हैं।	यह 40.8% से **बढ़कर 48% हो गया।**

[25] National Health Accounts Technical Secretariat

[26] System of Health Accounts

कुल स्वास्थ्य व्यय (THE) के प्रतिशत के रूप में वर्तमान स्वास्थ्य व्यय (CHE) • CHE में केवल स्वास्थ्य देखभाल उद्देश्यों के लिए बार बार होने वाले व्यय शामिल हैं, इसमें सभी प्रकार के पूंजीगत व्यय शामिल नहीं हैं। • **CHE को THE के प्रतिशत के रूप में** व्यक्त करके यह समझा जाता है कि उस वर्ष स्वास्थ्य सेवा के परिचालन खर्चों का कितना हिस्सा जनसंख्या की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यय किया गया।	यह 88.5% से **घटकर 87.3% हो गया है।**
कुल स्वास्थ्य व्यय (THE) के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य देखभाल पर अपनी जेब से होने वाला खर्च (OOPE) • **जेब से होने वाला व्यय (OOPE)** वह व्यय है, जो **परिवारों द्वारा स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्राप्त करते समय प्रत्यक्ष रूप से खर्च** किया जाता है।	यह 48.8% से **घटकर 39.4% हो गया है।**
कुल स्वास्थ्य व्यय (THE) के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय (SSE) • SSE में **केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वित्त-पोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं** (जैसे PMJAY, RSBY आदि), **सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों** तथा स्वास्थ्य देखभाल सेवा के उद्देश्यों के लिए सरकारी कर्मचारियों को **चिकित्सा प्रतिपूर्ति** शामिल हैं।	यह 9% से **घटकर 8.7% हो गया है।**
कुल स्वास्थ्य व्यय (THE) के प्रतिशत के रूप में निजी स्वास्थ्य बीमा व्यय (PHIE) • PHIE में **स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के माध्यम से किए गए खर्च** शामिल होते हैं।	यह 5.8% से बढ़कर **7.4% हो गया है।**
कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य के लिए बाह्य/ दाता अनुदान (External/Donor Funding for Health) • इसमें **दानदाताओं द्वारा प्रदत्त सहायता** के रूप में देश को उपलब्ध सभी निधियां शामिल हैं।	यह 0.5% से **बढ़कर 1.1% हो गया।**

5.3. इच्छामृत्यु (Euthanasia)

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने **निष्क्रिय इच्छामृत्यु यानी पैसिव यूथेनेशिया को लेकर नए दिशा-निर्देशों का मसौदा जारी किया।**

अन्य संबंधित तथ्य

- हाल ही में, कर्नाटक सरकार ने असाध्य बीमारी से पीड़ित मरीजों को "सम्मान के साथ मरने का अधिकार" दिया। यह **निर्देश लागू करने वाला कर्नाटक, देश का दूसरा राज्य** है। ऐसा **पहला राज्य केरल** है।

मुख्य दिशा-निर्देशों पर एक नज़र

- इनमें **असाध्य बीमारी (Terminal illnes) की परिभाषा** दी गई है। साथ ही, इनमें **जीवन रक्षक उपचार (LST)**[27] को वापस लेने की शर्तों का विवरण भी दिया गया है।
- **कॉमन कॉज बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में** सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है।
- LST के प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए **प्राथमिक चिकित्सा बोर्ड (PMB)** और **माध्यमिक चिकित्सा बोर्ड (SMB)** के गठन का प्रावधान किया गया है। दोनों में कम से कम 3 सदस्य शामिल होंगे।
  - LST प्रस्तावों को प्राथमिक चिकित्सा बोर्ड के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाना चाहिए। साथ ही, माध्यमिक चिकित्सा बोर्ड को PMB के निर्णय को मान्यता देनी चाहिए।
- **क्लिनिकल एथिक्स कमेटी:** इसका गठन अस्पताल द्वारा **ऑडिट, निरीक्षण और संघर्ष समाधान** के लिए किया जाता है।

[27] Life Sustaining Treatments

इच्छामृत्यु के बारे में

- **इच्छामृत्यु (Euthanasia)** का अर्थ है किसी रोगी के जीवन को जानबूझकर समाप्त करना, जिससे **उसे असहनीय पीड़ा और लाइलाज बीमारी से मुक्ति** मिल सके।
- इसका प्रबंधन केवल चिकित्सक द्वारा ही किया जा सकता है।

इच्छामृत्यु से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

- **अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ वाद, 2011:** असाधारण परिस्थितियों में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी जा सकती है।
- सुप्रीम कोर्ट ने **कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य (2018) मामले** में **अनुच्छेद 21** के तहत **गरिमा के साथ मरने के अधिकार** को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। इस फैसले में **भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु को कानूनी वैधता** प्रदान की गई।
- 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने **लिविंग विल और जीवन-रक्षक उपचार को रोकने/ वापस लेने के दिशा-निर्देशों को संशोधित** किया था।
  - **लिविंग विल (एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव)** एक प्रकार का लिखित दस्तावेज है। इसका उपयोग कोई व्यक्ति चिकित्सा उपचार के बारे में अग्रिम रूप से अपने स्पष्ट निर्देश देने के लिए करता है, यदि वह असाध्य बीमारी की स्थिति में अक्षम हो जाता है या संवाद करने में असमर्थ होता है।

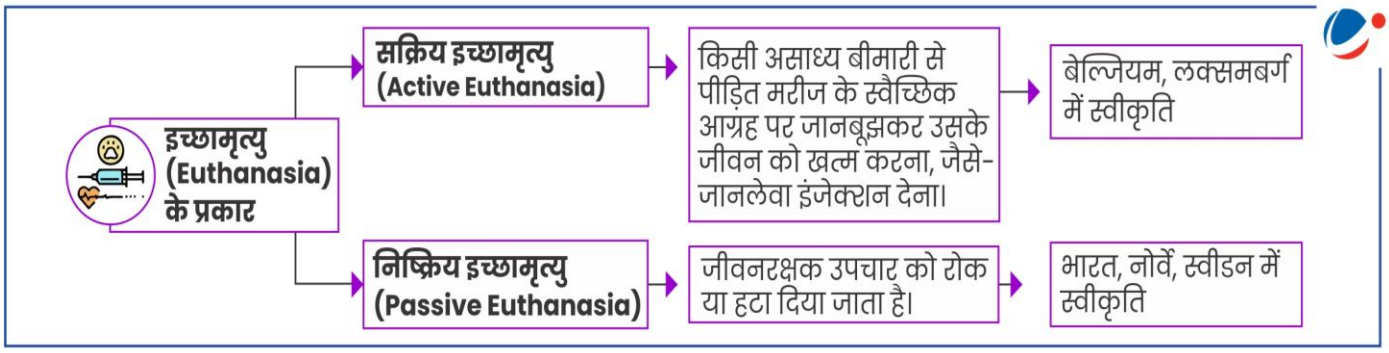

लिविंग विल पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश 2023

- यह **बिना किसी अनुचित प्रभाव या बाधा के बाद में दी गई सूचित सहमति पर आधारित** होनी चाहिए।
- वैध लिविंग विल बनाने के लिए **नोटरी या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापन पर्याप्त** होगा।
- इस दस्तावेज में **एक से अधिक अभिभावक या करीबी रिश्तेदार का नाम** हो सकता है।
- मरीज अपने अग्रिम निर्देश को **डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड** के रूप में शामिल करना चुन सकते हैं, यदि कोई हो।
- **प्राथमिक मेडिकल बोर्ड (PMB)** और **सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड (SMB)** का गठन किया जाएगा। PMB में **एक चिकित्सक** तथा SMB में जिले के **मुख्य चिकित्सा अधिकारी** द्वारा नामित एक **पंजीकृत चिकित्सक** सदस्य के रूप में शामिल होगा।
- ऐसे मामलों में जहां **असाध्य बीमारी से पीड़ित मरीज का कोई अग्रिम निर्देश (एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव) नहीं** है, उन मामलों में **PMB** पारिवारिक चिकित्सक (यदि कोई हो) और मरीज के निकटतम रिश्तेदार/ निकटतम मित्र/ अभिभावक से चर्चा करेगा।
- उनकी लिखित सहमति पर **PMB** मामले को संदर्भित किए जाने के **48 घंटों के भीतर** की जाने वाली कार्रवाई को प्रमाणित कर सकता है।

5.4. अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR), 2005 में संशोधन {Amendments to International Health Regulations (IHR), 2005}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA)**[28] की 77वीं वार्षिक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में, **अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम, 2005** में महत्वपूर्ण संशोधनों को अपनाया गया।

अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR) के बारे में

- **1951** में स्थापित **अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता विनियम** की जगह **अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम लागू** किए गए हैं।

[28] World Health Assembly

- **उद्देश्य:** यह एक **व्यापक और कानूनी रूप से बाध्यकारी फ्रेमवर्क** है। यह देशों की सीमाओं से परे लोक स्वास्थ्य घटनाक्रमों और आपात स्थितियों के प्रभावों से निपटने में देशों के **अधिकारों एवं दायित्वों** को स्पष्ट करता है।
- **सदस्य:** इसमें WHO के सभी **194 सदस्य** देश तथा **लिकटेंस्टाइन** और **द होली सी** शामिल हैं।
- **संशोधन की आवश्यकता क्यों है:** विगत वर्षों में इबोला वायरस से लेकर कोविड-19 जैसी महामारियों से प्राप्त अनुभवों के कारण दुनिया भर में बेहतर लोक स्वास्थ्य निगरानी, प्रतिक्रिया और तैयारी तंत्र की आवश्यकता महसूस की गई है।

विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) के बारे में

- यह **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** का निर्णय लेने वाला निकाय है।
- **कार्य:**
  - यह WHO की नीतियों का निर्धारण करता है,
  - WHO महानिदेशक की नियुक्ति करता है,
  - वित्तीय नीतियों की निगरानी करता है,
  - प्रस्तावित कार्यक्रम के बजट की समीक्षा करता है और उसे स्वीकृति प्रदान करता है।

प्रमुख संशोधनों पर एक नज़र

- इसके तहत **महामारी आपातकाल (Pandemic Emergency)** को एक ऐसे **संक्रामक रोग** के रूप में परिभाषित किया गया है, जो **"व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में प्रसारित"** है या जिसका जोखिम बहुत अधिक है। साथ ही, इतना संक्रामक हो गया है या हो सकता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों की प्रतिक्रिया करने की क्षमता उस पर अप्रभावी हो गई है या हो सकती है।
- इसमें विकासशील देशों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को महत्त्व देने के लिए एक **समन्वयकारी वित्तीय तंत्र** की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
- **अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR)** के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक **राज्य (देश) पक्षकार समिति** के गठन का प्रावधान किया गया है।
- अलग-अलग देशों के बीच समन्वय में सुधार करने के लिए **राष्ट्रीय IHR प्राधिकरण** के गठन का प्रस्ताव किया गया है।

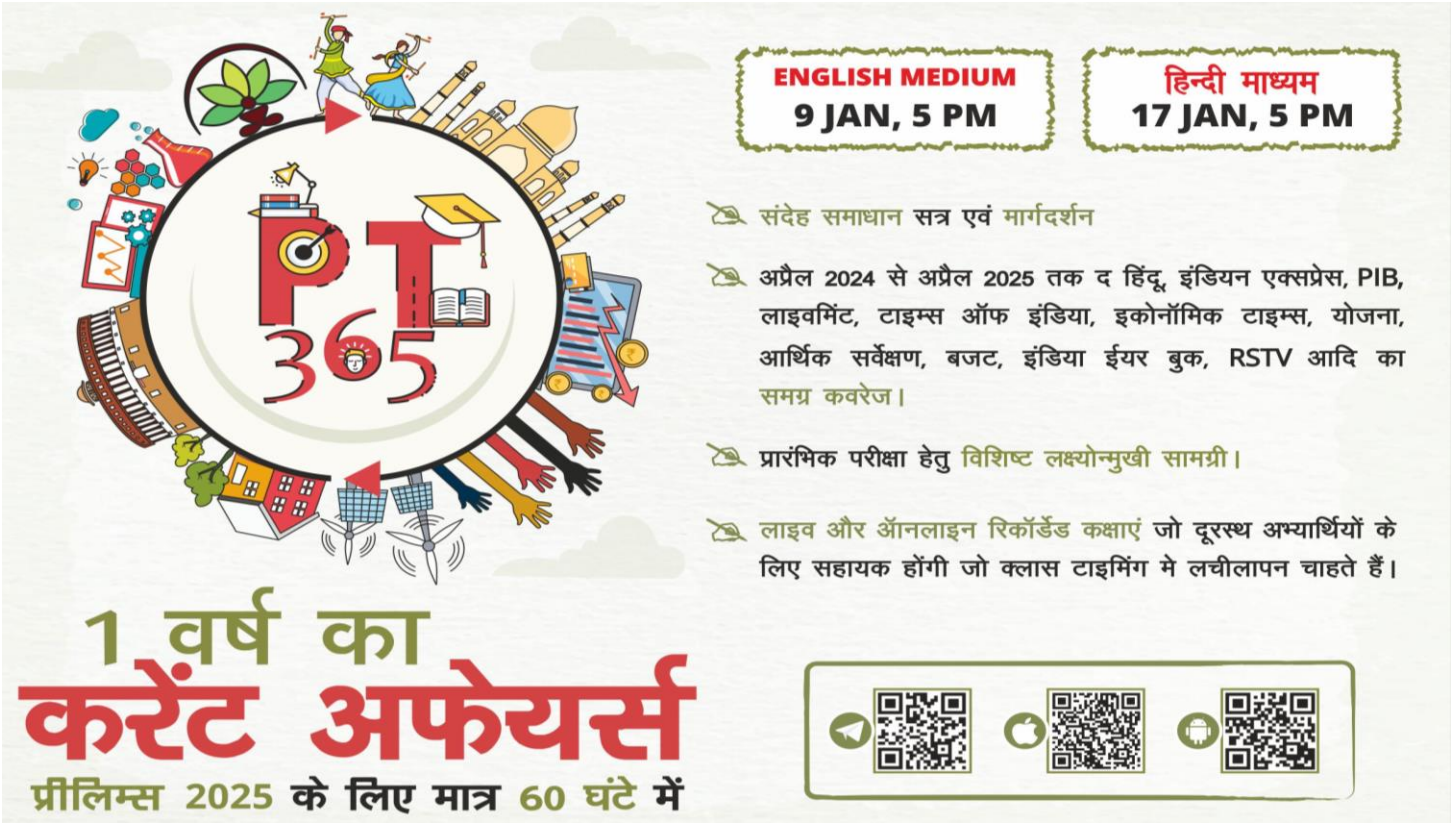

6. पोषण और स्वच्छता (Nutrition and Sanitation)

6.1. ग्लोबल हंगर इंडेक्स (Global Hunger Index: GHI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **आयरलैंड के कंसर्न वर्ल्डवाइड और जर्मनी के वेल्थंगरहिल्फ़** गैर-सरकारी संगठनों ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI), 2024 जारी किया।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI), 2024 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **वैश्विक निष्कर्ष:**
  - **सूचकांक के अनुसार, 42 देशों में भुखमरी का स्तर** चिंताजनक स्थिति में है। इस प्रकार **2030 तक शून्य भुखमरी का लक्ष्य हासिल करना असंभव** लग रहा है।
    - विश्व का **GHI स्कोर 18.3 है, जिसे भुखमरी की गंभीरता के पैमाने पर मध्यम स्तर** का माना जाता है।
  - रिपोर्ट में **लैंगिक असमानता, जलवायु परिवर्तन और भुखमरी** के बीच संबंध को दर्शाया गया है।
    - **महिलाएं और लड़कियां** आमतौर पर **खाद्य असुरक्षा और कुपोषण** से सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। वे मौसम की चरम स्थितियों और जलवायु आपात स्थितियों के प्रभावों से भी असमान रूप से पीड़ित होती हैं।
- **रिपोर्ट में भारत से संबंधित निष्कर्ष:**
  - भारत **127 देशों में से 105वें स्थान** पर है। भारत के साथ **पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित 41 अन्य देश "गंभीर" श्रेणी** में हैं। गौरतलब है कि **भारत 2023 में 111वें स्थान** पर था।
    - भारत की **13.7% आबादी कुपोषित** है।
  - **भारत का GHI स्कोर:** 27.3 है। **भारत का GHI स्कोर वर्ष 2000 से कम** हो गया है, लेकिन **बाल दुबलापन और बाल ठिगनापन का स्तर** अभी भी बहुत अधिक है।
    - **पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में >18.7% में चाइल्ड वेस्टिंग तथा >35.5% में चाइल्ड स्टंटिंग पाया गया।**
  - **मातृ स्वास्थ्य और पोषण:** भारत में मातृ कुपोषण के कारण बच्चे कुपोषित बने रहते हैं। इससे कमजोर पोषण स्थिति का एक चक्र पीढ़ी-दर-पीढ़ी जारी रहता है।

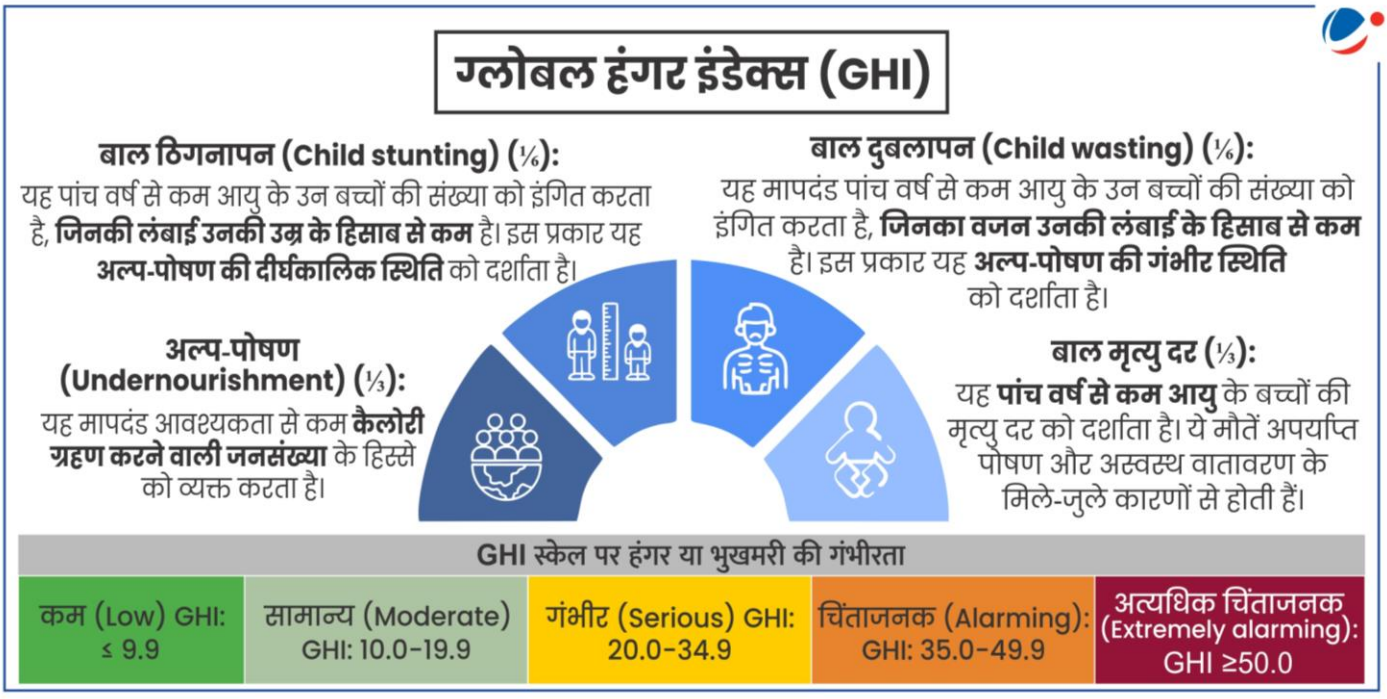

भारत में भुखमरी से निपटने के लिए उठाए गए कदम

- **प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY):** यह योजना **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध** कराने के लिए शुरू की गई है।
- **प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना:** इस योजना के तहत **पंजीकृत महिलाओं को उनके पहले जीवित बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है। इस सहायता का उद्देश्य गर्भावस्था और प्रसव के बाद की अवधि में महिलाओं को **वेतन सहायता** प्रदान करना और उनकी **पौष्टिक भोजन** सुनिश्चित करने में मदद करना है।
- **सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0:** अनुशंसित आहार भत्ता और औसत दैनिक अंतर्ग्रहण के बीच के अंतर को खत्म करने के लिए पूरक पोषण का प्रावधान किया गया है।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013:** यह कानून भोजन के अधिकार को एक संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है।
- **पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन), ईट राइट मूवमेंट।**

वैश्विक स्तर पर भुखमरी से निपटने के लिए उठाए गए कदम

- **विश्व खाद्य कार्यक्रम:** यह **संयुक्त राष्ट्र** की खाद्य सहायता शाखा है। इसकी स्थापना **1961** में की गई थी। इसका मिशन खाद्य सहायता प्रदान करके खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देकर और पोषण को बढ़ाकर विश्व से भुखमरी को खत्म करना है।
- **संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन (FAO), SDG-2 (जीरो हंगर) आदि।**
- **पोषण पर रोम घोषणा:** यह घोषणा देशों को वैश्विक स्तर पर भुखमरी को खत्म करने और कुपोषण के सभी रूपों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध करती है। यह घोषणा विशेष रूप से बच्चों में कुपोषण, महिलाओं और बच्चों में एनीमिया तथा अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने पर बल देती है।
- **जीरो हंगर चैलेंज:** यह **संयुक्त राष्ट्र महासचिव** द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जो देशों को इस दिशा में काम करने के लिए आमंत्रित करती है कि भविष्य में सभी लोगों की पर्याप्त पोषण तक पहुंच हो।

संबंधित सुर्ख़ियां

भुखमरी और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन (Global Alliance against Hunger and Poverty)

- **उत्पत्ति:** इस गठबंधन को **ब्राजील में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन (2024) में लॉन्च** किया गया था।
- **उद्देश्य:** भुखमरी और गरीबी को समाप्त करने के प्रयासों **{सतत विकास लक्ष्य (SDG) 1 और 2}** का समर्थन करना व गति प्रदान करना तथा **असमानताओं (SDG-10) को कम** करना।
- अपनी **पॉलिसी बास्केट (विविध नीतिगत साधनों)** के माध्यम से यह गठबंधन इन नीतिगत साधनों को लागू करने के लिए साझेदारी बनाने तथा **वित्तीय और ज्ञान संसाधनों को जुटाने में एक तटस्थ सुविधाकर्ता के रूप में कार्य** करता है।
- यह गठबंधन **तीन स्तंभों पर आधारित है- राष्ट्रीय, वित्तीय और ज्ञान में कार्रवाई।**
- **सदस्य:** 91 देश (भारत इसका सदस्य है), 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आदि।

6.2. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

6.2.1. खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति (State of Food Security and Nutrition)

विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट[29], 2024 जारी की गई। यह रिपोर्ट **संयुक्त राष्ट्र की पांच विशेष एजेंसियों** ने तैयार की है। ये एजेंसियां हैं- **खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO), अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD), यूनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP)** और **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)।**

विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट, 2024 से संबंधित मुख्य बिंदु

- इस रिपोर्ट की थीम **"भुखमरी, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण के सभी रूपों का उन्मूलन करने के लिए वित्त-पोषण"** पर केंद्रित है।
- **इस रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने के लिए वित्त-पोषण की एक नई परिभाषा दी गई है:**
  - इसमें **सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों से प्राप्त वित्तीय संसाधनों के उपयोग को भुखमरी, खाद्य असुरक्षा एवं कुपोषण के सभी रूपों को समाप्त करने वाले वित्त-पोषण** के रूप में परिभाषित किया गया है।
    - इन संसाधनों में **घरेलू और विदेशी, दोनों स्रोतों से प्राप्त** वित्तीय संसाधनों को शामिल किया गया है।
  - इसका उद्देश्य **पौष्टिक एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, उस तक पहुंच, उपयोग और निरंतर आपूर्ति** सुनिश्चित करना है। साथ ही, इसका उद्देश्य जोखिमों को सहने की **कृषि खाद्य प्रणालियों की क्षमता को मजबूत** करना भी है।

खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति

- विश्व के देश **सतत विकास लक्ष्य-2 (SDG-2) यानी जीरो हंगर** को प्राप्त करने की राह से बहुत दूर हैं।
- 2023 में विश्व में औसतन **11 में से 1 व्यक्ति को भुखमरी का सामना** करना पड़ा था।

6.2.2. द ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फ़ूड क्राइसिस (The Global Network Against Food Crises: GNAFC)

GNAFC ने **'खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट' (GRFC)[30]** जारी की है। यह रिपोर्ट हर साल **फ़ूड सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन नेटवर्क (FSIN)** द्वारा तैयार की जाती है।

GNAFC के बारे में

- इसे **2016** में लॉन्च किया गया था। यह **यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र- खाद्य और कृषि संगठन (FAO) तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP)** की संयुक्त पहल है।
- यह खाद्य संकट के मूलभूत कारणों का पता लगाने और उन्हें दूर करने के लिए वर्तमान में चल रही **पहलों, साझेदारियों, कार्यक्रमों और नीतिगत प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से जोड़ने, एकीकृत करने तथा मार्गदर्शन करने** का कार्य करता है।
- यह मानवीय सहायताओं को बेहतर बनाने और गंभीर खाद्य संकट का सामना करने वाले लोगों की संख्या में कमी लाने हेतु **सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को एक साथ लाता** है।

6.2.3. खाद्य अपशिष्ट सूचकांक (FWI) रिपोर्ट 2024 (Food Waste Index Report 2024)

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने 'खाद्य अपशिष्ट सूचकांक (FWI) रिपोर्ट, 2024' जारी की। यह रिपोर्ट **वेस्ट एंड रिसोर्सेज़ एक्शन प्रोग्राम (WRAP)** के सहयोग से तैयार की गई है।

खाद्य अपशिष्ट सूचकांक (FWI) रिपोर्ट 2024 के बारे में

- FWI **रिटेल और उपभोक्ता (घरेलू एवं खाद्य सेवा)** के यहां बर्बाद होने वाले भोजन व अनाज के अखाद्य हिस्सों की मात्रा को **वैश्विक तथा राष्ट्रीय स्तर पर ट्रैक** करता है।
- यह सतत विकास लक्ष्य (**SDG)-12.3 के दो संकेतकों के गोल्स का समर्थन** करता है, जिन्हें 2030 तक हासिल किया जाना है। **ये दो संकेतक हैं-**
  - **SDG 12.3.1 (a): खाद्य हानि सूचकांक (Food Loss Index: FLI)** इस संकेतक का उप-संकेतक है। FLI फसल कटाई के बाद के नुकसान सहित **उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं में खाद्य हानि को कम** करने में मदद करता है। **खाद्य और कृषि संगठन, FLI का संरक्षक** है।

[29] The State of Food Security and Nutrition in the World Report

[30] Global Report on Food Crises

- **SDG 12.3.1 (b): FWI** इस संकेतक का उप-संकेतक है। FWI रिटेल और उपभोक्ता स्तर पर **प्रति व्यक्ति वैश्विक खाद्य अपशिष्ट की मात्रा को कम करके आधा** करने पर केंद्रित है। **UNEP, खाद्य अपशिष्ट सूचकांक (FWI) का संरक्षक** है।

- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**
  - 2022 में सभी महाद्वीपों के परिवारों ने प्रतिदिन **1 बिलियन से अधिक "एक वक्त का भोजन (मील्स)" बर्बाद** किया है।
  - खाद्य अपशिष्ट **वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 8-10%** का योगदान करता है।

6.2.4. राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) आकलन {National Quality Assurance Standards (NQAS) Assessment}

हाल ही में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने **"सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल"** सुनिश्चित करने हेतु **वर्चुअल NQAS आकलन, और 'स्पॉट फूड लाइसेंस पहल'** शुरू की।

पहलों के बारे में

- **NQAS आकलन: इसे आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और एकीकृत लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (IPHL)** के लिए वर्चुअल NQAS आकलन का शुरू किया है।
  - लोक स्वास्थ्य सुविधाओं की रियल टाइम निगरानी के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों (IPHS) का शुभारंभ किया गया है।
    - **PHS लोक स्वास्थ्य सुविधाओं की रियल टाइम निगरानी** के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म **लोक स्वास्थ्य सुविधाओं के मूल्यांकन और अनुपालन स्थिति का व्यापक अवलोकन** प्रदान करता है।
- **स्पॉट फूड लाइसेंस पहल:** यह **खाद्य संरक्षा और अनुपालन प्रणाली (FoSCoS)** के माध्यम से तुरंत **लाइसेंस जारी करने और पंजीकरण** के लिए शुरू की गई है। FoSCoS एक अखिल भारतीय आई.टी. प्लेटफॉर्म है।
  - इसका उद्देश्य लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।

6.2.5. ग्लोबल अलायन्स फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन (Global Alliance for Improved Nutrition: GAIN)

GAIN ने **'पौष्टिक खाद्य पदार्थ मूल्य श्रृंखलाओं में निवेश का मामला: जेंडर इम्पैक्ट के लिए एक अवसर'** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में **कृषि-खाद्य क्षेत्र में पोषण आधारित ऐसे निवेश** की सिफारिश की गई है, जो **लैंगिक असमानताओं को कम करे, उत्पादकता बढ़ाए और व्यापार को मजबूती** प्रदान करे।

ग्लोबल अलायन्स फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन (GAIN) के बारे में

- यह **स्विटज़रलैंड** में स्थित एक **गैर-सरकारी संगठन** है। इसे **2002 में संयुक्त राष्ट्र** में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य **कुपोषण के कारण होने वाली मानवीय पीड़ा की समस्या से निपटना** है।
- **मुख्यालय:** जिनेवा (स्विट्जरलैंड) (भारत में भी इसका एक कार्यालय है)।
- यह संगठन **पोषक तत्व रहित आहार में पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी का समर्थन** करता है।

7. सुर्ख़ियों में रहे संगठन (Organizations In News)

7.1. यू.एन. वीमेन (UN Women)

HQ: न्यूयॉर्क, अमेरिका

यू.एन. वीमेन

उत्पत्ति: यू.एन. वीमेन की स्थापना 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण के उद्देश्य से की गई थी।

उद्देश्य: यू.एन. वीमेन की चार प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकताएं हैं:
- महिलाएं शासन व्यवस्था में **नेतृत्व करें, सक्रिय भागीदारी निभाएं** और **समान रूप से लाभान्वित हों।**
- महिलाओं को **आय सुरक्षा, गरिमापूर्ण कार्य और आर्थिक स्वायत्तता प्राप्त हो।**
- सभी महिलाएं और लड़कियां **हर प्रकार की हिंसा से मुक्त जीवन जीएं।**
- महिलाएं और लड़कियां **स्थायी शांति और रेजिलिएंस के निर्माण में योगदान** दें तथा प्राकृतिक आपदा, संघर्ष और मानवीय प्रयासों से समान रूप से लाभान्वित हों।

7.2. संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (UN International Children's Emergency Fund: UNICEF)

HQ: न्यूयॉर्क, यू.एस.ए.

संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (UNICEF)

उत्पत्ति: इसकी स्थापना 1946 में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (UNICEF) के रूप में की गई थी।

परिचय: यूनिसेफ मानवीय सहायता हेतु विश्व का **सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र** संचालित करता है और वैश्विक स्तर पर **सबसे अधिक वैक्सीन प्रदान करता है।**

सौंपे गए कार्य: बाल-अधिकारों का समर्थन करना, बच्चों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करना और बच्चों को अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करने हेतु अवसर उपलब्ध कराना।
- **यह भारत सहित 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों** में अपनी सेवाएं दे रहा है, ताकि प्रत्येक बच्चे के अधिकारों की रक्षा की जा सके।

भूमिका:
- बच्चों के लिए वैश्विक मानवाधिकार संधि, बाल अधिकार अभिसमय (1989) का समर्थन करना।
- शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं प्रदान करना और उनका समर्थन करना।
- बच्चों को हिंसा और दुर्व्यवहार से बचाना।
- उन्हें जलवायु परिवर्तन और बीमारी से सुरक्षित रखना।

वित्त-पोषण: यह संगठन सरकारों, अंतर-सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र आदि के स्वैच्छिक वित्तीय योगदान पर पूरी तरह से निर्भर है।

मुख्य रिपोर्ट्स: स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट, चाइल्ड नुट्रिशन रिपोर्ट

1965 में यूनिसेफ को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

7.3. संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (United Nation Population Fund: UNFPA)

HQ: न्यूयॉर्क, USA

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA)

उत्पति: इसकी स्थापना **1969** में की गई थी। यह **संयुक्त राष्ट्र की एक सहायक एजेंसी है।**

परिचय: यह **लैंगिक और जनन स्वास्थ्य** से जुड़े मामलों पर **संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी** है। पहले इसका नाम **यूनाइटेड नेशंस फंड्स फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज** था।

सौंपे गए कार्य: यह वैश्विक स्तर पर **लैंगिक और जनन स्वास्थ्य से संबंधित कई सेवाओं** तक पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करता है। इन सेवाओं में शामिल हैं: **स्वैच्छिक परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य देखभाल, लैंगिक शिक्षा** आदि।

लक्ष्य: 2030 तक परिवार नियोजन के साधनों की अनुपलब्धता की स्थिति को समाप्त करना; प्रसव के दौरान व प्रसव के पश्चात् मातृ मृत्यु को समाप्त करना; बाल विवाह और फीमेल जेनाइटल मुटिलिएशन सहित हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करना।

UNFPA का लक्ष्य **3 रूपांतरकारी परिणामों** को हासिल करना है। इसके तहत **2030 तक सभी महिलाओं, पुरुषों और युवाओं के लिए सकारात्मक बदलाव लाने की प्रतिबद्धता** व्यक्त की गई है। ये **3 रूपांतरकारी परिणाम हैं-**

- रोकथाम योग्य मातृ मृत्यु को **शून्य करना**
- परिवार नियोजन संबंधी आवश्यक संसाधनों के अभाव को **शून्य करना**
- लैंगिक हिंसा और अन्य हानिकारक प्रथाओं को **शून्य करना**

वित्त-पोषण: यह पूरी तरह से दानकर्ता सरकारों, अंतर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्रक के स्वैच्छिक योगदान द्वारा समर्थित है।

विशेषताएँ: यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) के समग्र नीतिगत मार्गदर्शन में कार्य करता है।

प्रकाशन: स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट

7.4. जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (International Conference on Population and Development: ICPD)

जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICPD)

उत्पत्ति: 1994 में 179 देशों ने **काहिरा** में **ICPD कार्य योजना (PoA)** को अपनाया था।

परिचय: ICPD लोगों पर केंद्रित विकास के लिए मानक तय करता है तथा राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों का मार्गदर्शन करता है।

उद्देश्य: इसने मान्यता प्रदान की कि **जनन स्वास्थ्य और अधिकार, महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता** जनसंख्या और विकास कार्यक्रमों की आधारशिला हैं।

मुख्य विशेषताएं: UNFPA, ICPD काहिरा में अपनाए गए PoA और सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा द्वारा निर्देशित है।

 © Vision IAS

7.5. खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization: FAO)

HQ: रोम, इटली

खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO)

Food and Agriculture Organization of the United Nations

स्थापना: इसे 1945 में स्थापित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।

सदस्य: इसके 195 सदस्य हैं। इसके सदस्यों में भारत सहित 194 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं।

सौंपे गए कार्य: पोषण में सुधार करना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर को ऊपर उठाना और वैश्विक आर्थिक विकास में योगदान देना।

प्रमुख पहलें

- **खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) का खाद्य मूल्य सूचकांक (Food Price Index: FFPI):** इसे 1996 में शुरू किया गया था। यह सूचकांक फूड कमोडिटी या खाद्य वस्तुओं की बास्केट की **अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मासिक परिवर्तन को मापता है।** इस सूचकांक की गणना **पांच कमोडिटीज के समूह की कीमतों में हुए बदलावों का औसत निकालकर** की जाती है।
- **ग्लोबल फैमिली फार्मिंग फोरम (GFFF):** खाद्य एवं कृषि संगठन के ग्लोबल फूड फोरम (WFF), 2024 में शुरू किया गया है। GFFF यह भी दर्शाता है कि **यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ फैमिली फार्मिंग 2019-28 (UNDFF)** अपनी आधी अवधि पार कर चुका है।
- **हैंड-इन-हैंड (HIH) पहल:** यह कृषि-खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन को गति देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संचालित महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का समर्थन करता है।
- **वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियां (GIAHS):** GIAHS से जुड़े परिदृश्यों, कृषि जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों की पहचान करना और उनका संरक्षण सुनिश्चित करना।
  - **भारत में GIAHS स्थल:** पारंपरिक कृषि प्रणाली, कोरापुट; कश्मीर की केसर विरासत; कुट्टनाड समुद्र तल से निचले क्षेत्रों की कृषि प्रणाली।
- **अन्य: WASAG** - कृषि में जल की अभावग्रस्त पर वैश्विक रूपरेखा; ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप; विशेष कृषि उत्पादों के हरित विकास पर वैश्विक कार्रवाई (Global Action on Green Development of Special Agricultural Products); आदि।

FAO द्वारा जारी रिपोर्ट्स

- कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का प्रभाव
- खाद्य एवं कृषि की स्थिति (SOFA) रिपोर्ट 2023
- विश्व मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि की स्थिति 2024

7.6. विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme: WFP)

HQ: रोम, इटली

विश्व खाद्य कार्यक्रम

उत्पत्ति: विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना **1961 में संयुक्त राष्ट्र महासभा और खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO)** द्वारा की गई थी।

सदस्यता: विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) **सबसे बड़ी मानवतावादी एजेंसी** है। यह **आपात स्थितियों** में लोगों की जान बचाती है और सहायता के जरिए **समुदायों को आत्मनिर्भर बनने एवं आघातों से निपटने में सक्षम** बनाती है।
- इसकी **उपस्थिति भारत सहित 120 से अधिक देशों** में है। इसका उद्देश्य संघर्ष के कारण विस्थापित और आपदाओं के कारण बेसहारा हुए लोगों तक जीवन रक्षक भोजन पहुंचाना है।

वित्त-पोषण: इसमें पूर्णतः सरकारों, कॉर्पोरेट्स और निजी दानकर्ताओं से स्वैच्छिक दान शामिल हैं।

विश्व खाद्य कार्यक्रम को **2020 का नोबेल शांति पुरस्कार** दिया गया है।

WFP की रिपोर्ट्स: खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट

भारत में WFP
- यह 1963 से भारत में कार्यरत है।
- **लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में रूपांतरण:** 'अन्नपूर्ति' जैसे अभिनव समाधानों का संचालन।
- **सरकार द्वारा वितरित भोजन का फोर्टिफिकेशन:** मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत स्कूली भोजन के बहु-सूक्ष्म पोषक फोर्टिफिकेशन में अग्रणी भूमिका।
- **खाद्य असुरक्षा मानचित्रण और निगरानी:** राज्य-स्तरीय खाद्य सुरक्षा विश्लेषण इकाइयों की स्थापना में सरकार का सहयोग करना तथा निर्धनता और मानव विकास की निगरानी हेतु एजेंसियों का समर्थन करना।

7.7. अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (International Food Policy Research Institute: IFPRI)

HQ: वाशिंगटन डी.सी., यू.एस.ए.

अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (IFPRI)

उत्पत्ति: इसकी **स्थापना 1975** में की गई थी। यह **कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स (CGIAR)** का एक अनुसंधान केंद्र है।

परिचय: यह विकासशील देशों में गरीबी को संधारणीय तरीके से कम करने एवं भुखमरी और कुपोषण को समाप्त करने के लिए **अनुसंधान-आधारित नीतिगत समाधान** प्रदान करता है।

लक्ष्य: CGIAR के पांच प्रभाव क्षेत्रों में प्रगति हासिल करना:
- पोषण, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा;
- गरीबी में कमी, आजीविका और नौकरियां;
- पर्यावरणीय स्वास्थ्य और जैव विविधता;
- लैंगिक समानता, युवा और सामाजिक समावेशन; तथा
- जलवायु अनुकूलन और शमन।

7.8. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UN Human Rights Council: UNHRC)

HQ: जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC)

उत्पत्ति: इसकी स्थापना **संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2006** में की थी। UNHRC को **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग** की जगह लाया गया था।

परिचय: इसे संयुक्त राष्ट्र के तहत एक **अंतर-सरकारी निकाय** के रूप में स्थापित किया गया है। यह दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है।

सदस्यता: इसके **47 सदस्य देश** सदस्य हैं। भारत इसका एक सदस्य है।

मुख्य कार्य: यह सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा के माध्यम से **संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा** करती है। यह **युद्ध संबंधी अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों आदि पर जांच आयोग और तथ्य-खोज मिशन** गठित करती है।

7.9. यू.एन. ऑफ़िस ऑफ़ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स (Office of the High Commissioner for Human Rights: OHCHR)

HQ: जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड

यू.एन. ऑफ़िस ऑफ़ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स (OHCHR)

उत्पत्ति: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में अपने **संकल्प 48/141** के माध्यम से OHCHR की स्थापना की थी।
- इसकी स्थापना की अनुशंसा 1993 के **विश्व मानवाधिकार सम्मेलन** में अपनाए गए **वियना घोषणा-पत्र और कार्य योजना** में की गई थी।

परिचय: इसे **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार** के रूप में भी जाना जाता है। OHCHR संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का हिस्सा है और मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख कार्यालय भी है।
- यह मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा-पत्र में निर्धारित मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की पूरी श्रृंखला के प्रचार तथा संरक्षण के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है।

सौंपे गए कार्य: सभी लोगों के लिए मानवाधिकारों की पूर्ण प्राप्ति और संरक्षण को बढ़ावा देना तथा उनके प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करना।

भूमिका: सभी मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना; अनुसंधान, शिक्षा और समर्थन गतिविधियों के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने में मदद करना; संयुक्त राष्ट्र के सभी कार्यक्रमों में मानवाधिकार के नजरिए को शामिल करना और सरकारों की सहायता करना।

VISIONIAS
DAKSHA MAINS
MENTORING PROGRAM 2024
दक्ष : मुख्य परीक्षा 2025 के लिए मेंटरिंग प्रोग्राम
(मुख्य परीक्षा 2025 के लिए स्ट्रेटेजिक रिवीजन / प्रैक्टिस और आवश्यक सुधार हेतु मेंटरिंग कार्यक्रम)
दिनांक 13 जनवरी
अवधि 3 महीने
हिन्दी/English माध्यम
For any assistance call us at:
+91 8468022022, +91 9019066066

7.10. राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन (Global Alliance of National Human Rights Institutions: GANHRI)

HQ: जेनेवा, स्विट्जरलैंड

GANHRI
Global Alliance of National Human Rights Institutions

राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन (GANHRI)

उत्पत्ति: GANHRI की स्थापना **1993** में की गई थी। इसे **मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति** के रूप में स्थापित किया गया था।
- **2016** में इसका नाम बदलकर **GANHRI** कर दिया गया था।

इसके बारे में: GANHRI एक स्वतंत्र, गैर-लाभकारी संगठन है जिसमें दुनिया भर के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान (NHRI) शामिल हैं।

सदस्य: इसमें **120 सदस्य शामिल** हैं। **भारत भी इसका एक सदस्य है।**

कार्य:
- यह NHRIs को **"A स्टेटस (पूर्ण अनुपालन)" या "B स्टेटस (आंशिक अनुपालन)" के साथ मान्यता** देता है। ये स्टेटस पेरिस सिद्धांतों की शर्तों को पूरा करने की स्थिति पर आधारित होते हैं।
  - **पेरिस सिद्धांतों के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत न्यूनतम मानक** निर्धारित किए गए हैं। NHRIs को एक विश्वसनीय और निष्पक्ष रूप से काम करने वाले निकाय के रूप में मान्यता हासिल करने के लिए इन न्यूनतम मानकों को पूरा करना पड़ता है।
- GANHRI संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है, जिनमें **मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)** और **संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट** शामिल हैं।

7.11. ICCPR के तहत मानवाधिकार समिति (HRC) {Human Rights Committee (HRC) under ICCPR}

मानवाधिकार समिति (HRC)

UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS TREATY BODIES

उत्पत्ति: मानवाधिकार समिति (HRC), ICCPR के **कार्यान्वयन की निगरानी** करती है। इस समिति में **18 स्वतंत्र विशेषज्ञ** शामिल हैं।
- **नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (ICCPR) के बारे में:** यह एक **बहुपक्षीय संधि** है। इसे **संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1966 में अपनाया** था। यह **संधि 1976 में लागू** हुई थी।
  - यह कई मामलों से संबंधित है, जैसे- आवाजाही की स्वतंत्रता; कानून के समक्ष समानता; निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार; विचार, अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता; राय देने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता; शांतिपूर्ण सभा आयोजित करने की स्वतंत्रता आदि।
  - **पक्षकार देश:** इसके **174 पक्षकार** देश हैं। भारत **1979 में ICCPR का पक्षकार** बना था।
  - **विशेषताएं:** यह संधि **इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन-राइट्स सहित मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) 1948 तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (ICESCR) 1966** का हिस्सा है।

परिचय: HRC, संयुक्त राष्ट्र की **मानवाधिकार संधि से संबद्ध संस्थान** है।

कार्य:
- उन कानूनों, नीतियों और पद्धतियों को बनाए रखना जो नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों को जमीनी स्तर पर लागू करते हैं।
- यह समिति आर्थिक और सामाजिक परिषद के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र की महासभा को अपनी गतिविधियों पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

7.12. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UN High Commissioner for Refugees: UNHCR)

HQ: जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR)

उत्पत्ति: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शरणार्थियों और विस्थापितों की समस्या को देखते हुए **1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने UNHCR की स्थापना** की थी। इस संगठन को पहले **"शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त का कार्यालय"** कहा जाता था।

परिचय: यह एक वैश्विक संगठन है जो शरणार्थियों, जबरन विस्थापित समुदायों और राज्य-विहीन लोगों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का नेतृत्व करता है।

सौंपे गए कार्य: 1951 का शरणार्थी सम्मेलन और इसका 1967 का प्रोटोकॉल वे प्रमुख कानूनी दस्तावेज हैं जो UNHCR के काम का आधार बनते हैं।
- यह 'शरणार्थी' शब्द की परिभाषा निर्धारित करता है और शरणार्थियों के अधिकारों व सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है।

इस संगठन को **1954 और 1981 में नोबेल शांति पुरस्कार** से सम्मानित किया गया था।

7.13. अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (International Organization for Migration: IOM)

HQ: जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM)

उत्पत्ति: इसकी स्थापना **1951** में हुई थी। यह प्रवासन के क्षेत्र में अग्रणी **अंतर-सरकारी संगठन** है।

उद्देश्य: प्रवासन के दौरान लोगों के जीवन की रक्षा, विस्थापन से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकालना और नियमित प्रवासन के लिए मार्ग को आसान बनाना।

सदस्य: भारत सहित 175 देश इसके सदस्य हैं।

पहलें:
- **सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिए वैश्विक संधि (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration):** यह **2018** में UN महासभा द्वारा न्यूयॉर्क घोषणा-पत्र के अनुरूप स्थापित की गई थी।
  - यह गैर-बाध्यकारी पहली अंतर-सरकारी संधि है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के सभी पहलुओं को कवर करती है।
- **IOM रणनीतिक योजना 2024-28:** इसका उद्देश्य सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन की प्रतिबद्धता को पूरा करना और दुनिया के सबसे सुभेद्य लोगों की सहायता करना है। इसके तहत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:
  - प्रवासन के दौरान लोगों के जीवन की रक्षा और उनका संरक्षण करना, जो IOM के व्यापक एवं वैश्विक मानवीय कार्य का मुख्य काम है।
  - विस्थापन से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकालना; और
  - नियमित प्रवासन के लिए मार्ग को आसान बनाना, जिससे प्रवासन अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित हो सके।
- **ग्लोबल अपील 2025:** UNHCR ने दुनिया भर में लाखों **शरणार्थियों, विस्थापित लोगों और राज्य विहीन लोगों** की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने तथा स्थायी समाधान लागू करने हेतु **2025 के लिए 10 बिलियन डॉलर की अपील** लॉन्च की है।

7.14. एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: UNESCAP)

HQ: बैंकॉक, थाईलैंड

एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (UNESCAP)

- **उत्पत्ति:** इसे **1947 में "एशिया और सुदूर-पूर्व के लिए आर्थिक आयोग (ECAFE)"** के रूप में स्थापित किया गया था। **1974** में इसे **ESCAP** नाम दिया गया था।
- **परिचय:** यह एक अंतर-सरकारी मंच है जो कार्रवाई-उन्मुख ज्ञान, तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण के माध्यम से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में समावेशी, रेसिलिएंट एवं संधारणीय विकास का समर्थन करता है।
  - UNESCAP संयुक्त राष्ट्र के पांच क्षेत्रीय आयोगों में से एक है।
- **कार्य:** यह क्षेत्र की सभी सरकारों को **आर्थिक और सामाजिक मुद्दों की समीक्षा एवं चर्चा करने तथा क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म** प्रदान करता है।
- **सदस्य:** 53 सदस्य और 9 एसोसिएट सदस्य। **भारत** इसका सदस्य देश है।
- **प्रकाशन:** UNESCAP ने **"एशिया-प्रशांत का आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण 2024"** रिपोर्ट जारी की है।

8. विविध (Miscellaneous)

8.1. लिव-इन रिलेशनशिप (Live-in Relationships)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में लागू की गई **उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता (UCC)** के तहत लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के **30 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य** किया गया।

भारत में "लिव-इन रिलेशनशिप" की कानूनी स्थिति

- भारत में, लिव-इन रिलेशनशिप संबंधों को **स्पष्ट रूप से किसी कानून या रीति-रिवाज** के तहत शासित नहीं किया जाता हैं।
- हालांकि, न्यायिक निर्णयों के जरिए **सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन पार्टनरशिप की कानूनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है** और कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- **लिव-इन रिलेशनशिप से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्णय:**
  - **बद्री प्रसाद बनाम उप-निदेशक चकबंदी (1978) वाद:** इस मामले ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि, यदि लिव-इन रिलेशनशिप**, विवाह की अनिवार्य शर्तों को पूरा** करते हैं, तो इसे **कानूनी मान्यता** दी जा सकती है। इन शर्तों में **विवाह की न्यूनतम आयु सीमा, आपसी सहमति** और **मानसिक क्षमता** आदि शामिल हैं।
  - **ललिता टोप्पो बनाम झारखंड राज्य (2018) वाद:** इस मामले में सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिया था कि, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत लिव-इन-पार्टनर को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत प्रदान की गई राहत से अधिक राहत प्रदान की जाएगी।
  - **भरत मठ बनाम आर. विजया रेंगनाथन और अन्य (2010) वाद :** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे को वैध माना जाएगा यानी शादी के बाद पैदा हुए बच्चे की तरह ही जैविक पिता को उसका भरण-पोषण करना होगा। साथ ही ऐसे बच्चों को अविभाजित पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी प्राप्त करने का अधिकार होगा।
  - **इंद्रा सरमा बनाम वी.के.वी. सरमा वाद (2013):** इस मामले में न्यायालय ने कहा कि, यदि **दो अविवाहित पार्टनर्स आपसी सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो यह न ही अवैध है** और न ही इसे अपराध माना जाएगा।

8.2. राष्ट्रीय खेल नीति (NSP), 2024 का मसौदा {Draft National Sports Policy (NSP), 2024}

सुर्ख़ियों में क्यों?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल नीति (NSP), 2024 का मसौदा जारी किया। 2024 की यह नीति **राष्ट्रीय खेल नीति, 2001; खेलो इंडिया योजना और टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (TOPS)** जैसी पिछली पहलों पर आधारित होगी।

इस मसौदा नीति की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र:

- **आवश्यकता:** मौजूदा NSP दो दशक से भी पहले तैयार की गई थी।
  - एक ऐसी नई व्यापक NSP तैयार करना अनिवार्य है, जिसमें खेल के क्षेत्र में नवीनतम तत्व शामिल हों। साथ ही, इसमें **वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का समाधान** करने के लिए एक रोडमैप भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- **विजन:** इसका विजन है- **"राष्ट्र निर्माण के लिए खेल- राष्ट्र के समग्र विकास के लिए खेल की क्षमता का उपयोग करना।"** यह विज़न **'विकसित भारत'** के सिद्धांतों के अनुरूप है।
- **इस मसौदा नीति के निम्नलिखित 5 स्तंभ हैं:**
  - **वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता:** उन्नत अवसंरचना, प्रतिभा की पहचान, आदि।
  - **आर्थिक विकास के लिए खेल:** पर्यटन, विनिर्माण जैसे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए खेलों का लाभ उठाना।
  - **सामाजिक विकास के लिए खेल:** स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना तथा खेलों के माध्यम से समावेशिता, स्वास्थ्य और शिक्षा को सुगम बनाना।
  - **खेल-एक जन आंदोलन:** समुदायों को जोड़ना, राष्ट्रीय फिटनेस रैंकिंग और इंडेक्सिंग प्रणाली की स्थापना करना, शारीरिक शिक्षा ढांचे को नया रूप देना आदि।
  - **NSP, 2024 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के साथ सुसंगत बनाना:** खेलों को शिक्षा के साथ एकीकृत करना।

8.2.1. खेलों में डोपिंग (Doping in Sports)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी (WADA)[31] द्वारा जारी किए गए 2022 के टेस्टिंग आंकड़ों में भारत में **डोपिंग करने वाले खिलाड़ियों का उच्चतम प्रतिशत (3.26%)** दर्ज किया गया।

डोपिंग के बारे में

- खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त हासिल करने के लिए प्रतिबंधित, कृत्रिम और प्रायः अवैध पदार्थों का सेवन करना डोपिंग कहलाता है।
- डोपिंग में रक्त आधान (Blood Transfusions) के जरिए **रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने** जैसे अन्य तरीके भी शामिल हो सकते हैं।

वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी (WADA) के बारे में

- **मुख्यालय**: मॉन्ट्रियल, कनाडा
- **उत्पत्ति:** अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने स्विट्जरलैंड के लॉज़ेन में खेल में **डोपिंग पर प्रथम विश्व कॉन्फ्रेंस** आयोजित की थी। इसके बाद 1999 में WADA की स्थापना की गई थी।
  - इसके परिणामस्वरूप खेल में डोपिंग पर **लॉज़ेन घोषणा-पत्र को अपनाया** गया। इस घोषणा-पत्र में साल 2000 में XXVII ओलंपियाड के लिए एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग एजेंसी के गठन का प्रावधान किया गया।
- **WADA के बारे में:** यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। यह ओलंपिक मूवमेंट और दुनिया की सरकारों द्वारा समान रूप से वित्त-पोषित है।
- **कार्य:** डोपिंग मुक्त खेल के लिए एक सहयोगात्मक विश्वव्यापी मूवमेंट का नेतृत्व करना। WADA की **एंटी-डोपिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम (ADAMS)** डोपिंग रोधी गतिविधियों का समन्वय और सरलीकरण करती है।

डोपिंग के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए किए गए प्रयास

भारत में

- **राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी अधिनियम, 2022:** इसका उद्देश्य डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम के संचालन के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना और तंत्र को मजबूत करना था।
  - इसके तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के गठन का प्रावधान किया गया था।
- **राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA):** यह युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत गठित एक स्वायत्त निकाय है। इसका उद्देश्य विश्व डोपिंग रोधी संहिता, 2021 के अनुरूप भारत में डोपिंग रोधी कार्यक्रम को संचालित करना है।
  - इसे 2005 में **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860** के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में गठित किया गया था।
- **NADA द्वारा की गई की प्रमुख पहलें:**
  - डोपिंग के संबंध में शिक्षा और जागरूकता का प्रसार करने के लिए **खेलों में डोपिंग रोधी शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम (PEADS)**[32] शुरू किया गया है।
  - खेल में डोपिंग रोधी क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए **दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन (SARADO)**[33] के साथ **समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर** किए गए है।
  - एथलीटों और उनके सहायक कर्मियों के लिए एंटी-डोपिंग नियमों और दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए **एंटी-डोपिंग हेल्पलाइन नंबर** जारी किया गया है।
  - WADA के प्ले ट्रू डे के उपलक्ष्य में NADA द्वारा #PlayTrue अभियान चलाया गया।
- **नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अधिनियम, 1985** लागू किया गया है।

वैश्विक स्तर पर

- **खेलों में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन:** इसे 2005 में **पेरिस (फ्रांस) में अपनाया** गया था। इसका उद्देश्य खेलों में डोपिंग की रोकथाम और उसके खिलाफ उपायों को बढ़ावा देना है, ताकि इसे समाप्त किया जा सके।
  - यह इस क्षेत्रक में **एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संधि** है और यह समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर **डोपिंग विरोधी कानूनों, विनियमों एवं नियमों को सुसंगत** बनाती है।
  - **भारत ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर** किए हैं और इसकी अभिपुष्टि भी की है।

[31] World Anti-Doping Agency

[32] Program for Education and Awareness on Anti-Doping in Sports

[33] South Asia Regional Anti-Doping Organization

8.3. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

8.3.1. शिक्षा में बहुभाषावाद (Multilingualism in Education)

शिक्षा मंत्रालय ने **शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा** देने के लिए दो अन्य पहलों के साथ **अस्मिता परियोजना** आरंभ की है। ये पहलें **नई शिक्षा नीति, 2020** के अनुरूप हैं।

इन तीन पहलों के बारे में:

- **अस्मिता/ ASMITA (अनुवाद और अकादमिक लेखन के माध्यम से भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री का संवर्धन) परियोजना:** इसका उद्देश्य छात्रों को उनकी मूल भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना है।
  - इसके तहत अगले **5 वर्षों में 22 अनुसूचित भाषाओं में 22,000 किताबें** तैयार की जाएंगी।
  - **कार्यान्वयन एजेंसियां:** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और भारतीय भाषा समिति (BBS)।
- **बहुभाषा शब्दकोश:** यह एक व्यापक बहुभाषी शब्दकोश भंडार होगा।
- **रियल-टाइम अनुवाद संरचना:** इसका उद्देश्य अत्याधुनिक तकनीक के साथ अनुवाद को बढ़ाना है।

8.3.2. प्रोजेक्ट नमन (Project NAMAN)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इंडियन आर्मी ने **प्रोजेक्ट नमन** का शुभारंभ किया। प्रोजेक्ट नमन वास्तव में **स्पर्श/ SPARSH (सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा)** पर केंद्रित है। **स्पर्श (SPARSH)-केंद्रित कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs)** पूरे भारत में स्थापित किए जाएंगे।

प्रोजेक्ट नमन के बारे में

- **उद्देश्य:** इसे **SPARSH** के कार्यान्वयन के माध्यम से **रक्षा पेंशनभोगियों, सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता एवं सेवाएं** प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।
  - स्पर्श एक **डिजिटल पेंशन प्रणाली** है, जो **रक्षा पेंशनभोगियों के लिए पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं को आसान** बनाती है। यह प्रणाली देश भर में पूर्व सैनिकों और उनके निकटतम परिजनों (नेक्स्ट ऑफ किन-NOK) के लिए सुलभ सुविधा केंद्रों की आवश्यकता की मांग को पूरा करती है।
- प्रत्येक **कॉमन सर्विस सेंटर का प्रबंधन ग्राम स्तरीय उद्यमी**[34] द्वारा किया जाता है। इन उद्यमियों को संबंधित स्थानीय सैन्य प्राधिकारियों (LMA) द्वारा पूर्व सैनिकों या NOK में से चुना जाता है।

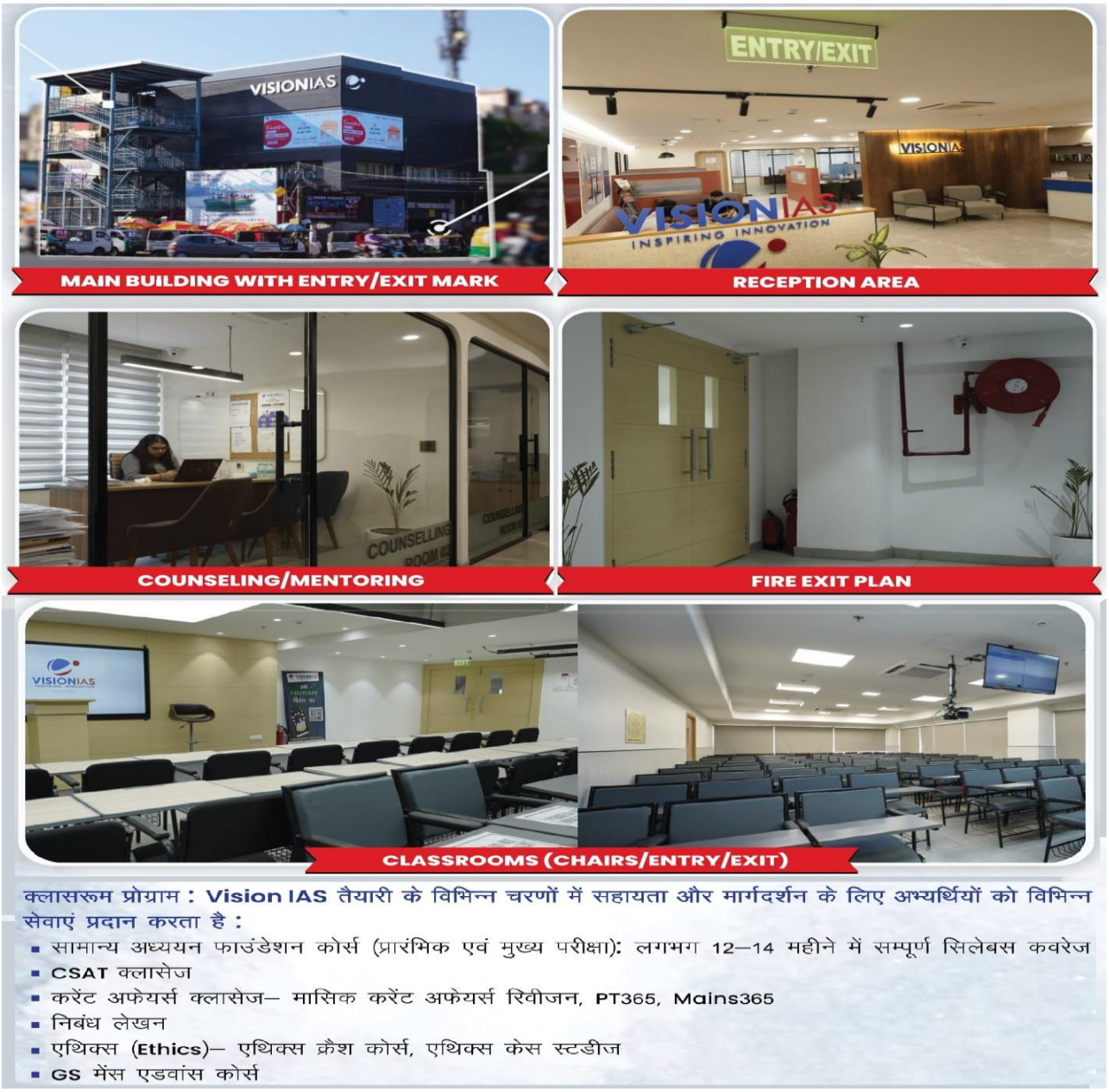

[34]Village Level Entrepreneur

8.3.3. सारथी 1.0 पहल (SARTHIE 1.0 Initiative)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (DoSJE) तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने सारथी 1.0 लॉन्च किया।

- **उद्देश्य:** जागरूकता सृजन, कानूनी सहायता तथा कल्याणकारी योजनाओं तक प्रभावी पहुंच को बढ़ावा देकर वंचित समुदायों (जैसे कि अनुसूचित जाति, ट्रांसजेंडर, विमुक्त व घुमंतू जनजातियां आदि) को सशक्त बनाना।
  - सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच तालमेल बनाना।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज (All India Test Series) : इस परीक्षा में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने हेतु हर तीन में से दो चयनित अभ्यर्थियों द्वारा इसे चुना जाता रहा है। **VisionIAS** पोस्ट टेस्ट एनालिसिस ठोस सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराता है एवं प्रदर्शन में निरंतर सुधार सुनिश्चित करता है। उत्तर लेखन में सुधार एवं मार्गदर्शन के लिए **Vision IAS** के **Innovative Assessment System™** द्वारा अभ्यर्थी को फीडबैक दिया जाता है।

- ऑल इंडिया सामान्य अध्ययन (**GS Mains**) टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- ऑल इंडिया **GS** प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- **CSAT** टेस्ट सीरीज
- वैकल्पिक विषय टेस्ट सीरीज– दर्शनशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, समाजशास्त्र
- संधान टेस्ट सीरीज
- ओपन टेस्ट (**Open Test**)
- **Abhyaas**– **Abhyaas Prelims & Mains**

मेंटरिंग कार्यक्रम – **UPSC** सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान किसी भी प्रकार की एकेडेमिक या गैर–एकेडेमिक समस्या के समाधान एवं मार्गदर्शन के लिए मेंटर की भूमिका बढ़ गई है। इसलिए **Vision IAS** प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए मेंटरिंग प्रोग्राम लेकर आया है।

- दक्ष (**Daksha**)**:** आगामी वर्षों में मुख्य परीक्षा देने वाले
- लक्ष्य (**Lakshya**)**:** मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए।
- लक्ष्य प्रीलिम्स एवं मेंस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम।

करेंट अफेयर्स (Current Affairs)– सिविल सेवा परीक्षा में प्रायः प्रश्नों को करेंट अफेयर्स से जोड़कर पूछा जाता है। इसलिए **Vision IAS** द्वारा प्रतिदिन, साप्ताहिक और मासिक आधार पर करेंट अफेयर्स के अलग–अलग स्रोत अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। जिनमें टॉपिक के स्टैटिक के साथ करेंट अफेयर्स के टॉपिक में महत्वपूर्ण समाचार पत्रों, सरकारी प्रकाशनों एवं वेब साइट का विश्लेषण सम्मिलित होता है।

- मासिक मैगजीन
- वीकली फोकस
- न्यूज टुडे
- **PT** 365
- **Mains** 365

स्टडी मैटेरियल– सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए **Vision IAS** द्वारा विभिन्न मैटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं।

- क्लासरूम स्टडी मैटेरियल
- वैल्यू एडेड मैटेरियल
- मासिक मैगजीन, वीकली फोकस, न्यूज टुडे
- **PT** 365 एवं **Mains** 365
- केन्द्रीय बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण सारांश
- विगत वर्षों के प्रश्नों (**PYQs**) का विस्तृत विश्लेषण
- टॉपर्स कॉपी

Student Wellness Cell – देश की प्रतिष्ठित सेवा एवं उसकी भर्ती प्रक्रिया कई बार बोझिल हो जाती है, जिससे अभ्यर्थी चिंता, तनाव, अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं का सामना करते हैं। जिसे ध्यान में रखकर **Vision IAS** द्वारा स्टूडेंट वेलनेस सेल की स्थापना की गई है। इसमें अभ्यर्थी प्रशिक्षित काउंसलर और प्रोफेशनल मनोविशेषज्ञ से मिलकर अपनी समस्या साझा करते हुए समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

8.3.4. नेशनल मेडिकल रजिस्टर (NMR) पोर्टल {National Medical Register (NMR) Portal}

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नेशनल मेडिकल रजिस्टर (NMR) पोर्टल लॉन्च किया। नेशनल मेडिकल रजिस्टर (NMR) पोर्टल भारत में **सभी एलोपैथिक पंजीकृत चिकित्सकों (MBBS) के लिए एक व्यापक डेटाबेस** होगा।

नेशनल मेडिकल रजिस्टर (NMR) के बारे में

- इसे **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) अधिनियम, 2019 की धारा 31** के तहत अनिवार्य किया गया है।
  - इसमें NMC के **एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड (EMRB)** के पास एक **इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय रजिस्टर** रखने का प्रावधान किया गया है। इस रजिस्टर में लाइसेंस प्राप्त मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के **नाम, पते और उनकी योग्यता** के बारे में जानकारी दर्ज होगी।
- इसके तहत चिकित्सक की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए **नेशनल मेडिकल रजिस्टर को डॉक्टर्स की आधार ID से लिंक** किया जाएगा।
- यह रजिस्ट्रेशन के सत्यापन में शामिल **राज्य चिकित्सा परिषदों (SMCs)** को आपस में जोड़ने में सहायता करेगा।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के बारे में

- यह एक **वैधानिक संस्था** है। इसका गठन **2020 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया** की जगह किया गया था।
- **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
  - गुणवत्तापूर्ण और वहनीय **चिकित्सा शिक्षा प्राप्ति** में मदद करना;
  - पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले **चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता** सुनिश्चित करना; और
  - समय-समय पर पारदर्शी तरीके से **चिकित्सा संस्थानों का निष्पक्ष मूल्यांकन** करना।
- **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के कार्य**
  - चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा संस्थानों, चिकित्सा अनुसंधानों और चिकित्सा पेशेवरों के लिए **नीतियां बनाना एवं उनका विनियमन** करना।
  - निजी क्षेत्रक के चिकित्सा संस्थानों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में **50% सीटों के लिए शुल्क निर्धारण हेतु दिशा-निर्देश तैयार** करना।
  - **स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताओं** का आकलन करना और उन्हें पूरा करने के लिए एक रोडमैप तैयार करना।

Heartiest Congratulations

to all Successful Candidates

Aditya Srivastava

79 in **TOP 100** Selections in **CSE 2023**

from various programs of **Vision IAS**

Animesh Pradhan

Ruhani

Srishti Dabas

Anmol Rathore

Nausheen

Aishwaryam Prajapati

हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में

= हिंदी माध्यम टॉपर =

मोहन लाल

अर्पित कुमार

विपिन दुबे

मनीषा धार्वे

मयंक दुबे

देवेश पाराशर

UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें

मोहन लाल

Toppers' Talk

UPSC CSE 2026 सामान्य अध्ययन

UPSC Prelims 2025 10 years PYQ

Master Classes Series करेंट अफेयर्स

HEAD OFFICE
DELHI
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /visionias.upsc /vision_ias VisionIAS_UPSC

अहमदाबाद बेंगलुरू भोपाल चंडीगढ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे रांची